नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की बीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक, **वीडियो कांफ्रेसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के द्वारा गुरुवार, 23 जून 2022 को प्रातः 11.00 बजे** आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कार्यों का संचालन करना है:

1. यथा 31 मार्च, 2022 को बैंक के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि लेखा, तुलन-पत्र व लेखों पर लेखा व लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा प्रावरित अवधि हेतु बैंक के कार्य व गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर परिचर्चा करना, उसे अनुमोदित करना व अगींकृत करना।

2. वित्त वर्ष 2021–22 के लिए लाभांश घोषित करना।

3. बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) की धारा 9(3) (i) के अनुसार केंद्र सरकार के इतर बैंक के शेयरधारकों में से दो निदेशकों का चुनाव करना, जिनके संबंध में अधिनियम, 1970 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद "बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद "योजना" के रूप में संदर्भित) और केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, यथा संशोधित (इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित) अधिनियम की धारा 19 और भारतीय रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के निदेशक मंडल में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड) जिसे आरबीआई/डीबीआर/2019–20/71 मास्टर निदेश डीबीआर. एपीटी.सं: 9/29.67.001/2019–20 दिनांक 02 अगस्त 2019 द्वारा जारी किए गए, जिसे आरबीआई परिपत्र सं.डीबीआर.एपीटी. बी सी. सं.39/29.39.001/2016–17 दिनांक 24 नवंबर 2016 के साथ पठित और उसमें आगे संशोधन, यदि कोई हो (इसके बाद "आरबीआई के निर्देश" के रूप में संदर्भित) और भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.सं.16/83/2013–बीओ.I दिनांक 3 सितंबर, 2013, एफ.सं.16/51/2012–बीओ.I दिनांक 28 अप्रैल, 2015 और दिनांक 20 जुलाई, 2016 जिसे भारत सरकार द्वारा 25 मार्च 2015, 08 जुलाई, 2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर–सरकारी निदेशक के रूप में विचार करने के लिए निर्धारित मानदंडों के साथ पठित और उसमें कोई और संशोधन (बाद में "भारत सरकार के दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित) के अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं तथा संशोधनों के साथ या बिना, निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

NOTICE

Notice is hereby given that the Twentieth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on **Thursday, the 23rd June, 2022 at 11.00 a.m. IST through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means,** to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2022, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2022, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To declare dividend for the financial year 2021-22.

3. To elect two Directors from amongst Shareholders of the Bank other than the Central Government, in respect of whom valid nominations have been received, in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the B R Act") and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme") and Canara Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000, as amended (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019 read with RBI circular No. DBR. Appt. BC. No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and further amendment thereto, if any (hereinafter referred to as "RBI Directions") and Notification No.F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013, F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 and dated July 20, 2016 of the Government of India read with the criteria laid down by the Government of India for consideration as Non-Official Director of Public Sector Banks on March 25, 2015, July 08, 2016 and any further amendment thereto, (hereinafter referred to as the "GOI Guidelines") and to pass the following resolution with or without modification(s):

"संकल्प लिया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, संगत योजना, इसके तहत बनाए गए विनियम, आरबीआई के निर्देशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अनुसार, केंद्र सरकार से इतर शेयरधारकों में से चुने गए दो निदेशकों को एतद्वारा बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जाता है जो 27 जुलाई, 2022 से पदग्रहण करेंगे और इस प्रकार पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूरी होने तक (यानी, 26 जुलाई, 2025 तक) पद पर बने रहेंगे।"

निदेशक मंडल के आदेशों द्वारा

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2022

"RESOLVED THAT two Directors elected from amongst Shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Banking Regulation Act, 1949, relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Directions and GOI Guidelines, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 27th July, 2022 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption (i.e., up to 26th July, 2025)"

By Order of the Board of Directors

L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 18.05.2022

टिप्पणियां

1. **व्याख्यात्मक वक्तव्य**

   नोटिस की मद संख्या 3 के संबंध में तात्विक तथ्यों को स्थापित करने वाले व्याख्यात्मक विवरण अलग से दिए गए हैं।

2. **वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम)**

   देश में कोविड–19 महामारी और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनज़र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने समय–समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से उन कंपनियों को अनुमति दी है जिनका 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से वार्षिक सामान्य बैठक(एजीएम) का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। परिपत्रों के अनुरूप बैंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से अपनी 20वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित कर रहा है, जिसे इसके बाद "ई–एजीएम" कहा जाएगा।

   बैंक ने वार्षिक सामान्य बैठक के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तथा ई–एजीएम के आयोजन के लिए प्रतिभागियों को सक्षम करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट को नियुक्त किया है ।

3. **वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) / ऑडियो विजुअल माध्यम (एवीम) के द्वारा ई–एजीएम में भाग लेने के लिए अनुदेश**

   क) वीसी / एवीएम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों की भागीदारी की अनुमति देगा।

   ख) बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक की शेयरधारिता), प्रायोजकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधक कार्मिकों तथा लेखापरीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षकों के संबंध में ई–एजीएम में फीफो के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

   ग) बैठक के कोरम की संख्या का पता लगाने के लिए ई–एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी ।

   घ) सदस्य बैठक आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तथा बाद ई–एजीएम में भाग ले सकते हैं।

   ङ) सदस्य रिमोट इवोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके शेयरधारकों / सदस्यों के लॉगिन के तहत https://emeetings.kfintech.com / पर वीसी अभिगम कर

NOTES

1. **EXPLANATORY STATEMENT**

   The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 of the Notice is given separately.

2. **AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING**

   In view of the COVID-19 pandemic in the country, Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide various Circulars issued from time to time has permitted companies who are proposing to organize AGMs in 2022 for the Financial Year ending 31.03.2022 through VC or OAVM. In line with the Circulars the Bank is conducting its 20th AGM through Video Conferencing / Other Audio Visual Means hereinafter called as "e-AGM".

   The Bank has appointed KFin Technologies Limited, Registrars and Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting the e-AGM.

3. **INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE e-AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / AUDIO VISUAL MEANS (AVM)**

   a) The VC / AVM would allow participation of at least 1000 members on first-come-first-serve basis.

   b) No restrictions on account of FIFO entry into e-AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.

   c) The attendance of members attending the e-AGM would be counted for the purpose of reckoning the quorum of the meeting.

   d) The Members can join the e-AGM 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting.

   e) Members may access the VC at https://emeetings.kfintech.com / under Shareholders/ members login by using the remote e-voting

सकते हैं। ई–एजीएम के लिए लिंक शेयरधारकों / सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां ईवेंट और कंपनी के नाम का चयन किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

च) बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को गूगल क्रोम के साथ लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

छ) इसके अलावा, सदस्यों को कैमरे, यदि कोई हो, की अनुमति देने की आवश्यकता होगी और इसलिए बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी स्पीड के साथ इंटरनेट का उपयोग करें।

ज) कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो की कमी का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की पूर्वोक्त खमियों को कम करने के लिए स्थिर वाई–फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

झ) हितधारक किसी भी सहायता के लिए evoting@kfintech.com पर आरटीए / तकनीकी हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

4. कार्यसूची मदों पर प्रश्न

बैठक के दौरान जो शेयरधारक अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने नाम, फोलियो / डीमैट संबंधी विवरण, ई–मेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने लॉग–इन पेज https://evoting.kfintech.com/ पर दिए गए स्पीकर पंजीकरण विंडो में प्रस्तुत कर सकते हैं। "एजीएम प्रश्न" विंडो 18 जून, 2022 प्रातः 10.00 बजे से 21 जून, 2022 सांय 5.00 बजे तक सक्रिय रहेगा।

कृपया ध्यान दें कि, शेयरधारक द्वारा की गई पूछताछ / उनके विचारों/प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दिया जाएगा, जब शेयरधारक निर्धारित तिथि, अर्थात् 16 जून 2022 तक शेयरों का धारण जारी रखते हैं।

बैठक में जो शेयरधारक बोलना चाहते हैं, उन्हें कैमरे की अनुमति देनी होगी और बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए सुगम गति वाले इंटरनेट का उपयोग करना होगा। शेयरधारक "स्पीकर पंजीकरण" के तहत उसी पोर्टल में दिए गए विकल्प के माध्यम से भी अपने वीडियो को पूर्व रूप से रिकॉर्ड और अपलोड कर सकते हैं।

credentials. The link for e-AGM will be available in Shareholders / members login where the EVENT and the name of the company can be selected. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.

f) Members are encouraged to join the Meeting through laptops with Google Chrome for better experience.

g) Further, Members will be required to allow camera, if any, and hence use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

h) Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio / Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

i) The stakeholders may contact RTA / Technical helpdesk at evoting@kfintech.com for any assistance.

4. QUERIES ON AGENDA ITEMS

The Shareholders who would like to express their views / pose queries on agenda items may submit their questions in the speaker registration window provided to them at their login page https://evoting.kfintech.com/, by mentioning their name, folio / demat details, e-mail id and mobile number. The “AGM Questions” window shall be activated from 10 A.M. IST on 18th June 2022 till 5 P.M. IST on 21st June 2022.

Please note that, shareholder’s queries / views / questions will be responded to, only if, the shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date, i.e., 16th June 2022.

Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under “Speaker Registration.”

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या लैपटॉप के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो में लोप का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की पूर्वोक्त खामियों को कम करने के लिए स्थायी वाई–फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

एजीएम में बोलने और सवाल उठाने के इच्छुक शेयरधारक, https://evoting.kfintech.com/ में लॉग–इन कर सकते हैं और डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, शहर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करके "स्पीकर पंजीकरण" पर क्लिक करते हुए जमा कर सकते हैं। स्क्रीन पर संदर्भ संख्या प्रदर्शित की जाएगी जिसे ई–एजीएम बैठक में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान फिर से बुलाए जाने के लिए परिरक्षित किया जा सकता है।

जो शेयरधारक इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वे केफिनटेक की ई–वोटिंग वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर अपने रिमोट ई–वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करते हुए लॉग–इन करके एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट देख सकेंगे॥

5. **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

प्रॉक्सी को, शेयरधारक जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में सक्षम नहीं है, की ओर से सामान्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने की अनुमति दी जाती है। चूंकि, यह बैठक वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) / एवीएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, जहां शेयरधारक की भौतिक उपस्थिति को बंद किया गया है, इसलिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

6. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या किसी अन्य कॉरपोरेट निकाय जो कि बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत् रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति, जिस बैठक में उसे पारित किया गया था, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रति प्रमाणित किया गया हो, उसे बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 18, जून, 2022 को बैंक के समापन समय पर या उससे पहले जमा किया जाना चाहिए।

Please note that Participants Connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio / video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable wi-fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

Shareholders intending to speak and raise questions at the AGM, may log into https://evoting.kfintech.com/ and click on "Speaker Registration" by mentioning the demat account number / folio number, city, e-mail id, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the e-AGM meeting.

Shareholders who are not able to join this Meeting over video conferencing will be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-voting website of KFintech at https://evoting.kfintech.com/ using their remote e-voting credentials.

5. **APPOINTMENT OF PROXY**

A proxy is allowed to attend and vote at a general meeting on behalf of a shareholder who is not able to attend personally. Since this meeting is held through VC / AVM, where the physical attendance of the shareholder has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Shareholders would not be available for this meeting.

6. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**

No person shall be entitled to participate or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him / her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on Saturday, the 18th June, 2022.

7. **शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क**

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अतंरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें।

केफिन टेक्नोलोजिस लिमिटेड
यूनिट : केनरा बैंक
सेलीनियम टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31–32
गाचीबावली, फाइनांशियल दीस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद - 500 032

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई–मेल आईडी, शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (उपर्युक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित / पंजीकृत करें।

अभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपर्युक्त परिवर्तन / ई–मेल आईडी सूचित करें।

8. **बही खातों का बंद होना**

वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में शुक्रवार, 17 जून, 2022 से गुरुवार, 23 जून, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक शेयरधारकों का रजिस्टर और बैंक की शेयर हस्तांतरण खाता बही बंद रहेंगी।

9. **लाभांश का भुगतान / रिकॉर्ड तारीख**

बैंक के निदेशक मंडल ने वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, वर्ष 2021-22 के लिए शेयरधारकों को प्रत्येक `10/- अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर `6.50 (यानी 65%) के लाभांश की सिफारिश की है। उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है, जिनके नाम एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार यथा गुरुवार, 16 जून, 2022 (इसके बाद रिकॉर्ड तारीख के रूप में संदर्भित) को शेयरधारकों / लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं। वार्षिक सामान्य बैठक (23 जून, 2022) को लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

बैंक, जहां भी संभव होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) / नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (एनईसीएस) सुविधा के माध्यम से शेयरधारकों के बैंक खातों में लाभांश राशि जमा करेगा। शेयरधारक, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को अपने पते में हुए नवीनतम परिवर्तन और बैंक मैंडेट विवरण

7. **COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS**

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

KFin Technologies Limited
Unit : Canara Bank
Selenium Tower B, Plot No. 31-32
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda
HYDERABAD - 500 032

Further, the Shareholders are advised to inform / register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

8. **CLOSURE OF BOOKS**

The Register of Shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from Friday, the 17th June, 2022 to Thursday, the 23rd June, 2022 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

9. **PAYMENT OF DIVIDEND / RECORD DATE**

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of `6.50 per equity share (i.e. 65%) of face value of `10/- each to the Shareholders for the year 2021-22, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/ Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on Thursday, 16th June 2022 (hereinafter referred to as Record Date). The dividend will be paid to the shareholders within 30 days from the date of declaration at the Annual General Meeting (23rd June 2022).

The Bank will credit the dividend amounts to the bank accounts of the Shareholders through National Electronic Funds Transfer (NEFT) / National Electronic Clearing Service (NECS) facility, wherever possible. The Shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their Depository Participants about their latest change of address and bank mandate details (including new account number, if any, bank's

(नया खाता संख्या, यदि कोई हो, बैंक के एमआईसीआर और आईएफएससी कोड नंबर सहित) के बारे में तुरंत सूचित करें ताकि एनईएफटी / एनईसीएस के माध्यम से लाभांश राशियों को शीघ्र जमा करना सुनिश्चित किया जा सके। अभौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए केवल अपने डिपोजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं।

शेयरधारक जो भौतिक रूप में अपने शेयर धारण कर रहे हैं, वे इस नोटिस में दिए गए पते पर बैंक के सचिवीय विभाग या बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपने बैंक मैंडेट विवरण प्रस्तुत / अद्यतन करें।

10. लाभांश भुगतान पर कर

क) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार, 1 अप्रैल 2020 से शेयरधारकों को प्राप्त लाभांश आय कर योग्य है और बैंक को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों की जानकारी हेतु आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और उसके संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक / आरटीए (भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी (डीमैट रूप में शेयरों के मामले में) के साथ अपना पैन अपडेट करें।

ख) वैध पैन रखने वाला एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक, जिसकी आय, आयकर भुगतान के दायरे में नहीं आती है, स्रोत पर कर की गैर-कटौती का लाभ उठाने के लिए फॉर्म संख्या 15जी / 15एच में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। शेयरधारकों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है, तो 20% की उच्च दर से कर कटौती की जाएगी। अनिवासी शेयरधारक भारत और उनके निवास के देश के बीच कर संधि के तहत आवश्यक दस्तावेज अर्थात् कोई स्थायी स्थापना और लाभकारी स्वामित्व न होने की घोषणा, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, फॉर्म 10एफ, प्रासंगिक दस्तावेज / घोषणाएं जमा करके कर संधि लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने के अधीन लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, दस्तावेजों / फॉर्मों को या तो अपलोड करके या ईमेल भेजकर या आरटीए की वेबसाइट (www.kfintech.com) पर उपलब्ध संबंधित दस्तावेजों / फॉर्मों की हार्डकॉपी भेजकर प्रस्तुत किया जा सकता है।

ग) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त दस्तावेजों को गुरुवार, 16 जून, 2022 को शाम 5 बजे (आईएसटी) तक आरटीए की वेबसाइट https://ris.kfintech.com/form15 पर

MICR and IFSC Code numbers) immediately to ensure prompt crediting of the dividend amounts through NEFT / NECS. The Shareholders who are holding the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to the Secretarial Department of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in this Notice.

10. TAX ON DIVIDEND PAYMENT

a) Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).

b) A Resident individual shareholder with valid PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G / 15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by submitting the relevant documents / declarations either by uploading the documents / forms or sending an email or sending the hardcopy of relevant documents / forms which are available on the website of the RTA (www.kfintech.com).

c) The shareholders are requested to upload the aforementioned documents latest by 5 PM (IST), Thursday, 16th June, 2022 on the website of the RTA viz. https://ris.kfintech.com/form15

अपलोड कर दें या उन्हें einward.ris@kfintech.com पर ई–मेल करें ताकि बैंक उचित टीडीएस / विदहोल्डिंग टैक्स दर पर कर का निर्धारण और कटौती कर सके।

घ) डाक / कोरियर या पंजीकृत ई–मेल आईडी से प्राप्त दस्तावेजों को ही स्वीकार किया जाएगा। संबंधित दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां (जहां शेयरधारक केवल हार्ड कॉपी भेज रहा है) हमारे आरटीए को पैरा 7 में उल्लिखित उनके पते पर भेजी जा सकती हैं। गुरुवार, 16 जून 2022 के बाद कर निर्धारण / कटौती के संबंध में किये गए किसी भी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. फोलियो का समेकन

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि केफिन टेक्नोलोजिस लिमिटेड को उन खातों की खाता बही (लेजर फोलियो) के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी धारणों का एक खाते में समेकन किया जा सके।

12. अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधियों का लाभांश प्राप्त नहीं किया है यानी, वर्ष 2014–15 और 2016–17, उनसे अनुरोध है कि वे पूनर्मूल्यांकन / डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने, बैंक खातों के अपग्रेडेशन के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

शेयर अंतरणकर्ता एजेंट / या बैंक से hosecretarial@canarabank.com पर संपर्क स्थापित करते हुए दावा करने हेतु शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए बैंक ने अदावी / अप्रदत्त लाभांश वारंट संबंधी विवरण अपनी वेबसाइट www.canarabank.com में पोस्ट किया है ।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, सात वर्षों की अवधि के लिए बकाया या दावा न किए गए लाभांश की राशि को भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी/125 के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित करने की आवश्यकता है। बैंक वर्ष 2014–15 के लिए बैंक की अदावी/अवैतनिक लाभांश राशि को लागू प्रावधानों के अनुसार उक्त निधि में अंतरित करने की प्रक्रिया में है। तदनुसार, आईईपीएफ को वर्ष 2014–15 के लिए अप्रदत्त लाभांश राशि का अंतरण निम्नलिखित तिथियों पर देय है:

- **ई–सिंडिकेट बैंक हेतु (अब केनरा बैंक) : 01.08.2022**
- **केनरा बैंक हेतु : 14.08.2022**

or e-mail them at einward.ris@kfintech.com in order to enable the Bank to determine and deduct tax at appropriate TDS / withholding tax rate.

d) Documents received by post / courier or from registered e-mail ID will only be accepted. The physical copies of the relevant documents (wherever shareholder is sending hard copy only) may be sent to our RTA at their address mentioned in para 7 above. No communication on the tax determination / deduction shall be entertained post Thursday, 16th June, 2022.

11. CONSOLIDATION OF FOLIOS

The Shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate KFin Technologies Limited, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account.

12. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The Shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, i.e., for the years 2014-15 & 2016-17, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants, updation of Bank accounts for direct credit of dividends into accounts.

The Bank has posted the details of the Unclaimed/ Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the Shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed/ Unpaid Dividend amount of Bank for the year 2014-15 to the said fund as per applicable provisions. Accordingly, the transfer of unpaid dividend amount for the year 2014-15 to IEPF falls due on following dates:

- **For E-Syndicate Bank (Now Canara Bank) : 01.08.2022**
- **For Canara Bank : 14.08.2022**

13. **वार्षिक रिपोर्ट**

बैंक के शेयरधारक यह नोट करें कि एमसीए, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में बैंक, वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति शेयरधारकों को नहीं भेजेगा। वार्षिक रिपोर्ट की संपूर्ण प्रति को बैंक की वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोड किया गया है। शेयरधारक, वेबसाइट से इसके पठनीय संस्करण को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिस को बीएसई लिमिटेड, एनएसई लिमिटेड व ई–वोटिंग एजेंसी केफिन टेक्नोलोजिस लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com, www.nseindia.com तथा https://evoting.kfintech.com/ में भी देखा जा सकता है ।

14. **शेयरधारकों का मतदान अधिकार**

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, सिवाय केंद्र सरकार के, बैंक का कोई भी शेयरधारक, अपने पास स्थित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

15. **ई–वोटिंग : {सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के अनुसार}**

बैंक को इस बात की प्रसन्नता है कि वह बैंक के शेयरधारकों को नोटिस में दी गई मदों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए मेसर्स केफिन टेक्नोलोजिस लिमिटेड के माध्यम से रेमोट ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है ।

कार्यसूची मद नंबर 1 और 2 के संबंध में, शेयरधारकों / लाभार्थी मालिकों के ई–वोटिंग अधिकारों की गणना उनके द्वारा यथा गुरुवार, 16 जून, 2022 को धारित इक्विटी शेयरों पर और कार्यसूची मद नंबर 3 के संबंध में यथा शुक्रवार, 20 मई, 2022, क्रमशः अंतिम तारीख **(कट–ऑफ तारीख)** होने के कारण बैंक के वे शेयरधारक जो भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, **नोटिस की कार्यसूची मदों (आइटम)** पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

ई–मतदान के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

क. ई–मतदान के लिए निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करना https://evoting.kfintech.com

ख. लॉगिन क्रेडेंशियल प्रविष्ट करना

आपका फोलियो नं. / डीपी आईडी ग्राहक (क्लॉएंट) आईडी आपका यूज़र (प्रयोक्ता) आईडी होगा। पासवर्ड आपके पंजीकृत ई–मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

13. **ANNUAL REPORT**

Shareholders of the Bank may please note that in compliance with the various Circulars issued by MCA, GOI and SEBI, the Bank will not be sending the physical copies of Annual Report to the Shareholders. The full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Shareholders may download the readable version of the same from the website. The notice can also be accessed from the websites of BSE Limited, NSE Limited & e-voting agency KFin Technologies Limited at www.bseindia.com, www.nseindia.com and https://evoting.kfintech.com/ respectively.

14. **VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS**

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the Bank.

15. **e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI(LODR) Regulations, 2015}**

The Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to the Shareholders of the Bank through KFin Technologies Limited to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice.

With respect to agenda items No.1 and 2, the e-Voting rights of the Shareholders / Beneficiary Owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Thursday, 16th June 2022 and with respect to agenda item No.3 as on Friday, the 20th May, 2022 **being the Cut-off date(s) respectively** Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date(s), may cast their vote electronically **on the agenda items of the Notice.**

The instructions for e-Voting are as under:

a. To use the following URL for e-voting: https://evoting.kfintech.com

b. Enter the login credentials

Your Folio No. / DP ID Client ID will be your user ID. The passwords would be sent to your registered e-mail id.

ग. **उन व्यक्तियों के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल / वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कार्यविधि, जिनका ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है:**

शेयरधारक जिन्होंने अपना मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप उन्हें वार्षिक रिपोर्ट, ई–एजीएम की नोटिस और ई–वोटिंग की नोटिस नहीं भजी जा सकी हैं, वे कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को उपलब्ध कराए गए अस्थायी रूप से अपना ई–मेल पता तथा मोबाइल नम्बर को लिंक : https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx / पर क्लिक करते हुए प्राप्त कर सकते हैं ताकि उसे भेजी जा सके। शेयरधारिकों से अनुरोध है कि वे नोटिस और ई–मतदान निर्देशों के साथ–साथ प्रयोक्ता (यूज़र) आईडी और पासवर्ड की सॉफ्ट प्रति भेजने हेतु ई–मेल पते और मोबाइल नंबर कैप्चर करने के लिए यथा निर्देशित प्रक्रिया का अनुसरण करें। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए शेयरधारक einward.ris@kfintech.com पर लिखें।

वार्षिक रिपोर्ट, ई–एजीएम की नोटिस तथा ई–मतदान अनुदेश प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक रूप से सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ई–मेल पता, मोबाइल नम्बर, स्व–सत्यापित पैन प्रति तथा ग्राहक (क्लॉएंट) मास्टर प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन की गई प्रतिलिपि तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ ई–मेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर ई–मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

घ. उचित रूप से विवरण प्रविष्ट करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।

ड. आप पासवर्ड बदलने के मेनू तक पहुंच कायम करेंगे, जिसमें आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिसमें एक बड़ा अक्षर (ए–ज़ेड), एक छोटा अक्षर (ए–ज़ेड), एक संख्यात्मक मान (0–9) और एक विशेष अक्षर शामिल होगा। पहले लॉगिन पर सिस्टम आपसे पासवर्ड बदलने तथा संपर्क विवरण जैसे मोबाइल, ई–मेल आदि अद्यतन करने के लिए निर्देश देगा । यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आप अपना पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का गोपनीय प्रश्न और उत्तर भी प्रविष्ट कर सकते हैं। इस बात पर जोर दिया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

च. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ दोबारा लॉगिन करना आवश्यक है।

छ. सफल लॉगिन पर सिस्टम आपको आयोजन (ईवेंट) यानी, **केनरा बैंक** का चयन करने का निर्देश देगा।

ज. **कार्यसूची मद 1 व 2 के लिए :** मतदान पृष्ठ पर अंतिम तिथि **(कट ऑफ)** (16 जून, 2022) तक शेयरधारक द्वारा यथा धारित

c. **Procedure for obtaining login credentials / Annual Report for those whose e-mail address are not registered:**

Shareholders who have not registered their mail address and in consequence the Annual Report, Notice of e-AGM and e-voting notice could not be serviced. may temporarily get their e-mail address and mobile number provided with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the e-mail address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.

Alternatively, member may send an e-mail request at the e-mail id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of e-AGM and the e-voting instructions.

d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

e. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, e-mail etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

f. You need to login again with the new credentials.

g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT, i.e., **Canara Bank**.

h. **FOR THE AGENDA ITEMS 1 and 2 :** On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as

शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी। यदि आप उक्त कार्यसूची मद के संकल्पों के लिए सभी मतों को सहमति / असहमति देने की इच्छा रखते हैं, तो सभी शेयरों को प्रविष्ट करते हुए यथा मामले के अनुसार "के लिए"/"के विरुद्ध" पर क्लिक करें। आपको अपने सभी वोट एक ही तरह से डालने की आवश्यकता नहीं है। आप कितनी भी संख्या में आंशिक रूप से "के लिए" में और आंशिक रूप से "के विरुद्ध" प्रविष्ट कर सकते हैं, लेकिन "के लिए / के विरुद्ध" दोनों जोड़ने के फलस्वरूप उत्पन्न कुल संख्या, आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि यहां ऊपर उल्लिखित है। यदि आप मतदान से बचना चाहते हैं तो आप "बचना (अब्स्टेन)" विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप या तो "के लिए" या "के विरुद्ध" इंगित नहीं करते हैं, तो इसे "बचना (अब्स्टेन)" के रूप में माना जाएगा और धारित शेयरों को किसी भी मद के तहत नहीं गिना जाएगा। पुष्टी हेतु 'ओके' वरना संशोधित करने के लिए "रद्द (कैंसल)" पर क्लिक करें। आपके द्वारा पुष्टी कर लिए जाने के बाद आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक इन संकल्पों पर मतदान करने तक जितनी चाहे उतनी बार लॉगिन कर सकते हैं।

झ. **कार्यसूची मद नंबर 3** इस कार्यवृत्त मद के संबंध में, निर्दिष्ट तिथि, यानी शुक्रवार, 20 मई 2022 को शेयर रखने वाले, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से, जिनके नाम स्क्रीन पर दिखाई देंगे, अधिकतम दो उम्मीदवारों के पक्ष में अपना वोट डाल सकते हैं। दो उम्मीदवारों से अधिक वोट डालने से आपका वोट अमान्य हो जाएगा। पुष्टि करने के लिए 'ओके' पर क्लिक करें अन्यथा संशोधित करने के लिए 'रद्द' करें। एक बार पुष्टि करने के बाद, आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान अवधि के दौरान, शेयरधारक चुनाव प्रस्ताव पर मतदान करने तक कितनी भी बार लॉग-इन कर सकते हैं।

ञ. कई फोलियो / डीमैट अकाउंट रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग-अलग मतदान प्रक्रिया का चयन करें ।

तथापि, शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैंकिंग कंपनियों की धारा 3 (2ई) (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार, भारत सरकार के अलावा किसी भी शेयरधारक को बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

ट. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को ई-मेल scrutinizer@snaco.net के माध्यम से संवीक्षक को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रतिलिपि (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) भेजने की आवश्यकता है।

on the **Cut-off Date** (16th June, 2022) will appear. If you desire to cast all the votes assenting / dissenting to the Resolutions for the said Agenda Items then enter all shares and click "FOR" / "AGAINST" as the case may be. You are not required to cast all your votes in the same manner. You may partially enter any number in "FOR" and partially in "AGAINST" but the total number in "FOR / AGAINST" taken together should not exceed your total shareholding as mentioned hereinabove. You may also choose the option "ABSTAIN" in case you wish to abstain from voting. If you do not indicate either "FOR" or "AGAINST" it will be treated as "ABSTAIN" and the shares held will not be counted under either head. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Shareholders can login any number of times till they have voted on these resolutions.

i. **For Agenda item No.3** In respect of this Agenda Item, those holding shares as on the specified date, ie., Friday, 20th May, 2022, can cast their vote in favour of maximum TWO candidates, out of the contesting candidates, whose names will appear on the screen. Casting Vote exceeding TWO candidates shall render your vote as invalid. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the Election resolution.

j. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account.

However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

k. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution / Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail scrutinizer@snaco.net.

ठ. एक बार आपके द्वारा संकल्प पर अपना मतदान कर दिए जाने के बाद आपको बाद में इसे संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

ड. **रिमोट ई–मतदान अवधि :**

मतदान के लिए पोर्टल सोमवार, 20 जून, 2022 को पूर्वाह्न 09.00 बजे से बुधवार, 22 जून, 2022 सायं 5.00 बजे तक (दोनों दिन सम्मिलित) खुला रहेगा तथा आरटीए उसके बाद ई–मतदान प्लैटफार्म को अक्षम कर देगा।

ढ. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए, https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई–मतदान प्रयोक्ता (यूज़र) मैनुअल का संदर्भ लें या 1–800–345–4001 (टोल फ्री नं.) पर केफिन टेक्नोलाजिस लिमिटेड में श्री एस वी राजु से संपर्क करें।

ण. इस बात पर जोर दिया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और इसे गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

त. ई–वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट में की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

कृपया नोट करें की एक बार जब आप ई–वोटिंग के तहत अपना वोट डालते हैं, तो आप वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान को संशोधित या मतदान नहीं कर सकते हैं। तथापि, आप बैठक में भाग ले सकते हैं और चर्चा, यदि कोई हो, में भाग ले सकते हैं।

निक्षेपागार के माध्यम से दूरस्थ ई–मतदान (रिमोट ई–नोटिंग) करने के लिए निर्देश निमानुसार हैं :

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ई–वोटिंग सुविधा संबंधी सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागार और निक्षेपागार सहभागियों के पास अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपनी मोबाइल संख्या और ई-मेल आईडी के विवरण को अद्यतन करें।

निक्षेपागारों (डिपॉजिटरी) के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा दूरस्थ ई-मतदान (रिमोट ई-वोटिंग) की प्रक्रिया:

l. Once you have cast your vote on a resolution you will not be allowed to modify it subsequently.

m. **Remote e-Voting Period :**

The Portal will remain open for voting from: **09.00 a.m. on Monday, the 20th June, 2022 to 5.00 p.m. on Wednesday, the 22nd June, 2022 (both days inclusive) and RTA will disable the e-voting platform thereafter**.

n. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting User Manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact Mr. S V Raju of KFin Technologies Limited at 1-800-345-4001 (toll free).

o. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.

p. The results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

Kindly note that once you have cast your vote under e-Voting, you cannot modify or vote on poll at the Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

The instructions for remote e-voting through Depositories are as under:

In terms of SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, individual shareholders holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Procedure for remote e-voting by Individual Shareholders holding securities in Demat mode with Depositories:

एनएसडीएल	सीडीएसएल
1. आईडीईएएस सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए: • यूआरएल: https://eservices.nsdl.com • आइडीईएएस' सेक्शन के अंतर्गत "बेनीफिशियल ओनर'' आइकन पर क्लिक करें। • नए पेज पर यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, "ई-वोटिंग तक पहुंच एक्सेस" पर क्लिक करें। • कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और इस प्रकार रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर चले जाएँ।	**1. वैसे मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईएएसआई/ईएएसआई ईएसटी को चुना है** • युआरएल : https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या युआरएल: www.cdslindia.com • नई प्रणाली "मायसी" (Myeasi) पर क्लिक करें • यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें। • बगैर किसी अन्य प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुँचने का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। • अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।
2. आईडीईएएस (IDeAS) ई-सेवाओं हेतु गैर-पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए • पंजीकरण के लिए https://eservices.nsdl.com पर क्लिक करें। • आईडीईएएस (IDeAS) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण को चुनें। • आवश्यक क्षेत्र को भरते हुए आगे बढें। वैकल्पिक रूप से, • पंजीकरण के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp • आवश्यक फ़ील्ड को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ें।	**2. ईएएसआई / ईएएसआईईएसटी हेतु गैर-पंजीकृत उपयोगकर्ता:** • पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। • आवश्यक क्षेत्र को भरते हुए आगे बढ़ें।
3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर • यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ • 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के अंतर्गत "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें। • स्क्रीन पर दिखाई गई उपभोगकर्ता आईडी {(यूजर आईडी) (यानी एनएसडीएल का 16 अंकों वाला डी-मैट खाता संख्या)}, पासवर्ड / ओटीपी और सत्यापन कोड दर्ज करें। • सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप एनएसडीएल निक्षेपागार साइट पर चले जाएंगे, जहां पर आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। • कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और इस प्रकार रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर चले जाएं।	**3. सीडीएसएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाकर** • यूआरएल www.cdslindia.com • डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रस्तुत करें • प्रणाली डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल संख्या और ई-मेल पर ओटीपी भेज कर उपयोगकर्ता को अधिप्रमाणित करेगा • सफल अधिप्रमाणीकरण के पश्चात, जहां ई-वोटिंग चल रहा है, वहाँ के लिए, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे।

NSDL	CDSL
1. User already registered for IDeAS facility: • URL: https://eservices.nsdl.com • Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section. • On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting" • Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.	**1. Existing users who have opted for Easi / Easiest** • URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com • Click on New System Myeasi • Login with User ID and Password. • Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. • Click on e-Voting service provider name to cast your vote.
2. User not registered for IDeAS e-Services • To register click on link : https://eservices.nsdl.com • Select "Register Online for IDeAS" • Proceed with completing the required fields. Alternatively, • To register click on link : https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp • Proceed with completing the required fields.	**2. User not registered for Easi/Easiest** • Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration • Proceed with completing the required fields.
3. By visiting the e-Voting website of NSDL • URL: https://www.evoting.nsdl.com/ • Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. • Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. • Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. • Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.	**3. By visiting the e-Voting website of CDSL** • URL: www.cdslindia.com • Provide demat Account Number and PAN No. • System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & E-mail as recorded in the demat Account. • After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e-Voting is in progress

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी' और फॉरगेट पासवर्ड' विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क इस प्रकार है।

Important note: Members who are unable to retrieve User ID / Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL.

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@ cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या वे दूरभाष संख्या 022-23058738 और 022-23058542 43 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या वे टोल फ्री संख्या : 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 022-23058542-43
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते की लॉगिन पहचान (क्रेडेंशियल) का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन होने के पश्चात, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे। जैसे ही आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, आप सफल अधिप्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर चले जाएंगे, जहां आप ई-वोटिंग विशेषता (व्यवस्था) को देख सकते हैं। इसके बाद, कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और इस प्रकार रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे।

बैठक के दौरान ई-मतदान प्रणाली

केवल वे शेयरधारक जो ई-एजीएम में मौजूद हैं और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। शेयरधारक बैठक के दौरान दिए गए अनुदेशों का पालन करते हुए वीसी/एवीएम में लॉगिन करने के बाद उपलब्ध लिंक https://emeetings.kfintech.com/ पर क्लिक करते हुए मतदान कर सकते हैं।

The instructions for remote e-voting through Depository Participants are as under:

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL / CDSL for e-Voting facility. After successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL / CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

E-VOTING SYSTEM DURING THE MEETING

Only those Shareholders who are present in the e-AGM and have not cast their vote through remote e-Voting shall be allowed to vote through e-voting system. The Shareholders may vote during the course of the meeting by clicking the link https://emeetings.kfintech.com/ available after logging in to VC/AVM by following the instructions mentioned therein.

16. वोटिंग / मतदान में जांचकर्ता

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यम एंड कंपनी, कंपनी सचिव बैठक की सभी कार्यसूची मदों के संबंध में रिमोट ई– वोटिंग और ई–वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

17. रिमोट ई-वोटिंग और मतदान के परिणाम

ई–एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग और वोटिंग के समेकित परिणाम दो कार्य दिनों के भीतर या बैठक के अंत में घोषित किए जाएंगे और इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों और केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर भी होस्ट किया जाएगा।

नोटिस की मद संख्या 3 के प्रति उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार दो शेयरधारक निदेशकों का चुनाव। वर्तमान में हमारे बैंक के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशक हैं:

i. श्री. वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर (27.07.2016 से 26.07.2022 तक)

ii. श्री. बिमल प्रसाद शर्मा (27.07.2019 से 26.07.2022 तक)

iii. श्री. करुणाकर शेट्टी (30.11.2021 से 29.11.2024)

बैंक ने 25.07.2019 को आयोजित बैंक के शेयरधारकों की सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक के हिस्से के रूप में, केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से दो शेयरधारक निदेशकों के लिए चुनाव आयोजित किया और दो उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया। उनका कार्यकाल चुनाव के बाद पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अर्थात, 27.07.2019 से और उक्त कार्यकाल 26.07.2022 को समाप्त हो रहा है। बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अनुसार, यदि जनता को जारी की गई चुकता पूंजी 32% से अधिक है, तो बैंक तीन निदेशकों का चुनाव करने का हकदार है। शेयरधारकों के बीच, केंद्र सरकार के अलावा अन्य, 24.08.2021 को पात्र योग्य संस्थागत खरीदारों को प्रत्येक `10 के 16,73,92,032 इक्विटी शेयरों के आबंटन के बाद, सार्वजनिक

16. SCRUTINIZERS AT VOTING / POLL

M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote e-Voting and e-Voting in respect of all the agenda items of the meeting.

17. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND POLL

The consolidated results of remote e-Voting and voting at the e-AGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the website of the Bank, Stock Exchanges and KFin Technologies Limited.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO.3 OF THE NOTICE

Election of Two Shareholder Directors Pursuant to section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. At present the Board of Directors of our Bank has following Three Directors representing Shareholders other than the Central Government:

i. Shri. Venkatachalam Ramakrishna Iyer (w.e.f. 27.07.2016 to 26.07.2022)

ii. Shri. Bimal Prasad Sharma (w.e.f. 27.07.2019 to 26.07.2022)

iii. Shri. Karunakara Shetty (30.11.2021 to 29.11.2024)

The Bank, as part of the Seventeenth Annual General Meeting of Shareholders of the Bank held on 25.07.2019, conducted the election for two Shareholder Directors from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government and two candidates were declared elected. Their term of office was 3 years from the date of assuming office after election i.e., on 27.07.2019 and the said term is expiring on 26.07.2022. As per the Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, if the paid-up capital issued to Public is more than 32%, the Bank in entitled to elect 3 Directors from amongst shareholders, other than the Central Government. After allotment of 16,73,92,032 equity shares of `10 each to eligible qualified institutional buyers on 24.08.2021, the public shareholding (other

शेयरधारिता (भारत सरकार, प्रमोटर होल्डिंग्स के अलावा) बढ़कर 37.07% हो गई और 30.11.2022 को एक तीसरे शेयरधारक निदेशक चुने गए। बैंक के शेयरधारकों की सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक के दौरान चुने गए दो निदेशकों का कार्यकाल 26.07.2022 को समाप्त हो रहा है।

पूर्वोक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने बैंक के शेयरधारकों की बीसवीं वार्षिक आम बैठक के हिस्से के रूप में, केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से दो निदेशकों का चुनाव कराने का निर्णय लिया है। इस प्रकार निर्वाचित निदेशक 27 जुलाई, 2022 से पद ग्रहण करता है और पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

इसलिए शेयरधारक (केंद्र सरकार के अलावा) विभिन्न और प्रासंगिक अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचना में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के हकदार हैं, जिसके प्रासंगिक उद्धरण / भाग यहां पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

than Government of India, Promoter holdings) increased to 37.07% and a third shareholder director was elected on 30.11.2022. The term of the two Directors who were elected during the Seventeenth Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank is expiring on 26.07.2022.

In line with aforesaid guidelines, the Bank as part of Twentieth Annual General Meeting of Shareholders of the Bank, has decided to conduct the election of two Directors from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government. A Director so elected assumes office from 27th July, 2022 and shall hold office for a period of three years from the date of such assumption of office.

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore, entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme / Regulations / Notification, the relevant extracts / portions of which are reproduced hereunder.

ए. कानूनी प्रावधान

इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों / विनियमों / योजनाओं / अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों के संकेत निम्न सारणी में दिए गए हैं :

अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचना	महत्वपूर्ण प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन–ई) धारा 16(1) धारा 20	➢ पर्याप्त हित ➢ सामान्य निदेशकों का निषेध ➢ किसी निदेशक को या किसी निदेशक की ओर से ऋण या अग्रिमों की मंज़ूरी के लिए प्रतिबंध
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3एए) व धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	➢ निर्वाचन अधिकारों पर प्रतिबंध ➢ शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किए जानेवाले निदेशकों की संख्या ➢ कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान ➢ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो ट्रैक रिकॉर्ड तथा अखंडता के आधार पर योग्य व उचित नहीं हो व ऐसे अन्य किसी मानदंड के आधार पर, वह निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं है । ➢ उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) व 9(3एए) के प्रावधानों को पूरे नहीं करनेवाले यथा निर्वाचित निदेशकों को हटाने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक को होगा । ➢ निष्ठा व गोपनीयता का दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11 ए खंड 11 बी खंड 12(8) खंड 14ए, विशेष प्रावधान	➢ निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल ➢ बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्य ठहराया जाना ➢ निदेशक के पद को रिक्त किया जाना ➢ निर्वाचित निदेशक को पदच्युत किया जाना ➢ निर्वाचित निदेशक के पद में आकस्मिक रिक्तियों को भरना ➢ अपने हितानुसार कुछ व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा हित का प्रकटन ➢ यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि समिति की बैठक के लिए कोरम, ऐसी समिति में किसी भी रिक्ति होने या उसके सदस्य के इनकार करने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड वह कार्य या उस प्रकार कर सकता है।
केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2000	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	➢ संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग ➢ आम बैठकों में मतदान ➢ आम बैठकों में निर्वाचित किए जानेवाले निदेशक ➢ शेयरधारकों की सूची ➢ निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन ➢ नामांकनों की संवीक्षा ➢ निर्वाचन संबंधी विवाद ➢ मतदान अधिकारों का निर्धारण ➢ प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान ➢ प्रॉक्सियाँ(प्रतिनिधि)
भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना–डीबीआर. एपीपी सं. 9/29.67.001/2019–20 दिनांक 02.08.2019 और अन्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3एए) तथा धारा 9(3एबी) की अनुवर्ती	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए योग्य व उचित मानदंड

A. **LEGAL PROVISIONS**

The following table indicates the provisions contained in various Acts / Regulation / Scheme / Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	➢ Substantial Interest ➢ Prohibition of Common Director ➢ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	➢ Restriction on voting rights ➢ No. of directors to be elected by the Shareholders ➢ Special knowledge in certain fields ➢ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➢ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➢ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8) Clause 14A, Special provision	➢ Term of office of elected directors ➢ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➢ Vacation of office of Director ➢ Removal from office of an elected Director ➢ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➢ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested. ➢ if the Board is satisfied that quorum for meeting of Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.
Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	➢ Exercise of rights of joint holders ➢ Voting at General Meetings ➢ Directors to be elected at General Meetings ➢ List of Shareholders ➢ Nomination of candidates for election ➢ Scrutiny of nominations ➢ Election disputes ➢ Determination of voting rights ➢ Voting by duly authorized representative ➢ Proxies
RBI Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and others	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks

अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचना	महत्वपूर्ण प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश, जोकि कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा दिनांक 25 मार्च 2015 को स्वीकृत किया गया था। जोकि उत्तरवर्ती संशोधन, यदि कोई हो, के साथ भारत सरकार के पत्र एफ. सं.16/51/2012–बीओ.आई, दिनांकित 28.04.2015 और दिनांकित 20 जुलाई 2016 के साथ पठित और कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 03.09.2013 के साथ पठित है।		बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अनुसार, शेयर्धारक निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए उम्मीदवारों की फिट और उचित स्थिति का निर्धारण करते समय बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाए।
भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक 1 जुलाई 2015 का मास्टर परिपत्र		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम प्रदान करना
सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015		स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान

ACT / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
Revised Guidelines issued by the Government of India approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part-time, non-official director dated 25th March 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013 and subsequent amendments thereto, if any.		These guidelines be kept in mind by the Nomination and Remuneration Committee of the Board while carrying out determination of Fit and Proper Status of the Candidates to be elected as Shareholder Director pursuant to Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
RBI Master Circular dated 1st July 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

शेयरधारकों की सुविधा के लिए संबद्ध अधिनियम, विनियम अधिनियम, योजना / विनियम के प्रासंगिक सार और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीआर.एपीपीटी.सं.9/29.67.001/2019–20 दिनांक 02.08.2019 और भारत सरकार के दिशानिर्देश, बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर भी उपलब्ध होगा जिसका अवलोकन / डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवारों से प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु में कंपनी सचिव, केनरा बैंक को संबोधित नामांकन फॉर्म जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात्, 08 जून 2022 को या उससे पूर्व अनुरोध प्राप्त होने पर ये सार उन्हें ई–मेल के द्वारा भेज दिए जाएंगे।

बी. चुनाव में भागीदारी

जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि ऐसे शेयरधारक जिनके नाम एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा यथा निर्दिष्ट / अंतिम तारीख यानी, शुक्रवार, 20 मई 2022 को शेयरधारकों / लाभार्थी स्वामियों की बही में शामिल हैं, वे केन्द्र सरकार के शेयर धारकों को छोड़कर अन्य शेयर धारकों में से निदेशकों के चुनाव में भाग लेने हेतु यानी नामांकन भरने, चुनाव लड़ने तथा मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

यह ध्यान दिया जाए कि, केंद्र सरकार निदेशकों के चुनाव में भाग लेने की हकदार नहीं है।

सी. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने संबंधी अयोग्यताएं

(ए) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार एक व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु अयोग्य करार दिया जाएगा:

ए) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया है या उसने भुगतान रोक दिया है या लेनदारों से मिलीभगत कर ली हो: या

बी) यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया है और किसी सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

सी) यदि उसे दंड न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें नैतिक रूप से भ्रष्ट होना भी शामिल है; या

डी) यदि वह बैंक के कर्मचारियों के बीच से अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) एवं (एफ़) के तहत नामित प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशकों का पद छोड़कर, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme / Regulation as well as RBI Notifications No. DBR.Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and GOI Guidelines will be hosted in the Bank's website www.canarabank.com which can be viewed/downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Canara Bank at their Head Office at Bengaluru on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. June 8, 2022.

B. PARTICIPATION IN ELECTION

As already indicated earlier, such of those Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the Specified / Cut- Off Date i.e., on Friday, May 20, 2022 shall be entitled to participate, i.e., nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Directors.

C. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section

की धारा 3 की उप–धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट (अनुषंगी बैंक), अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण करता है ।

(बी) यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचनाओं, डीबीआर. एपीपीटी.संख्या:9 / 29.67.001 / 2019–20 दिनांक 02.08.2019 और भारत सरकार दिशानिर्देश संख्या फा. सं.16/51/2012–बीओ.आई. दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 तथा दिनांक 3 सितंबर 2013 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित के अनुसार 'उपयुक्त और उचित व्यक्ति' नहीं पाया जाता है।

डी. कार्यकाल

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार, निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए रहेगा और वह पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा ।

बशर्ते, कोई भी निदेशक लगातार 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा ।

ई. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक योग्यताएं

1. अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार, कोई उम्मीदवार बैंक का शेयरधारक होने के नाते और जो अधिनियम की धारा 9(3) (i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने की इच्छा रखता है, उसके पास:

   ए. निम्नलिखित मामलों में से एक या अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए:–

      i. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
      ii. बैंकिंग
      iii. सहकारिता
      iv. अर्थशास्त्र
      v. वित्त
      vi. विधि
      vii. लघु उद्योग
      viii. अन्य किसी मामले में से विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार से बैंक के लिए उपयोगी होगा ।

3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

(B) If he / she is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of notifications of Reserve Bank of India DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and Government of India guidelines No. F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013.

D. TENURE

In terms of Clause 9 (4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years

E. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

1. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall:

   a. have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-

      i. agriculture and rural economy
      ii. banking
      iii. co-operation
      iv. economics
      v. finance
      vi. law
      vii. small scale industry
      viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. डीबीआर.एपीपीटी. बीसी.सं.39/29.39.001/2016–17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के माध्यम से विशेषज्ञता के क्षेत्रों का विस्तार करके (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान तथा निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यावसायिक प्रबंधन को शामिल किया है जिसे बैंको में निदेशक की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

बी. जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; या

सी. किसानों, मजदूरों और कारीगरों का प्रतिनिधित्व करता हो।

2. अधिनियम की धारा9(3एए) तथा आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, बैंक का शेयरधारक होने के नाते कोई उम्मीदवार, जो बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसकी स्थिति 'उपयुक्त और उचित' होनी चाहिए ।

अधिनियम की धारा 9(3एबी) के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक उप-धारा 3(एए) के तहत जारी अधिसूचना में उपयुक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण करने वाला प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण के तरीके, ऐसे निर्धारण हेतु अनुकरणीय प्रक्रिया तथा ऐसे मामले, जिन्हें आवश्यक या आकस्मिक माना जा सकता है, निर्दिष्ट कर सकता है ।

इसके अतिरिक्त, चयनित निदेशक को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना चाहिए और उनके द्वारा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित वार्षिक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

एफ़. आरबीआई की 'उपयुक्त और उचित' मानदंड अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक इस संबंध में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3एए) के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर डीआरबी. एपीपीटी.संख्या: 9/29.67.001/2019–20 दिनांक 02 अगस्त, 2019 को अधिसूचना जारी किया है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के तहत बैंकों के बोर्ड पर निदेशकों के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले विशिष्ट "उपयुक्त और उचित" मानदंड दिये गए हैं ।

(RBI vide its circular no.DBR. Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

b. represents the interest of depositors; or

c. represents the interest of farmers, workers and artisans

2. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

F. RBI'S 'FIT AND PROPER' CRITERIA Notification

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 / 1980 has issued notification DBR.Appt.No: 9/29.67.001/ 2019-20 dated 02nd August 2019 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 / 1980.

अधिसूचना की मुख्य विशेषताएं:

"उपयुक्त और उचित" स्थिति आदि का निर्धारण करने हेतु प्राधिकारी, तरीका / प्रक्रिया और मानदंड निम्नानुसार है:

ए) प्राधिकारी

बैंक को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति [इसके बाद समिति के रूप में संदर्भित] का गठन करना आवश्यक है, जिसमें निदेशक मंडल [इसके बाद बोर्ड के रूप में संदर्भित] में से कम से कम तीन गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे और इसमें बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति से कम से कम एक सदस्य का शामिल होना आवश्यक है, ताकि एसबीआई अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (सी) / बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया शुरू की जा सके ।

बी) तरीका और प्रक्रिया

बैंक चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी तथा एक घोषणा पत्र और वचन पत्र लेगा । समिति की बैठक नामांकन की स्वीकृति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद होगी तथा नीचे उल्लिखित मानदंडों के आधार पर समिति यह निर्धारित करेगी कि व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकार की जाएगी या नहीं। समिति की चर्चा को बैंक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में अभिलेखित किया जाएगा तथा वोटिंग, यदि कोई हो, को भी नोट किया जाएगा। हस्ताक्षरित घोषणा पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर समिति उम्मीदवारी के स्वीकरण पर विचार करेगी और जहाँ आवश्यक लगे वहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए कि उम्मीदवार निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पुष्टि करता है, उपयुक्त प्राधिकारी / व्यक्तियों को संदर्भित करेगी।

सी) मानदंड

नामांकन और पारिश्रमिक समिति यहाँ नीचे उल्लिखित व्यापक मानदंड के आधार पर प्रस्तावित उम्मीदवारों की 'उपयुक्त तथा उचित' स्थिति का निर्धारण करेगी :

(i) आयु - चुनाव में नामांकन जमा करने हेतु उम्मीदवार की आयु निर्धारित अंतिम तिथि को 35 से 67 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

Salient Features of the Notification:

The Authority, Manner / Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper" status etc., are as under

a) Authority

The Bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee [hereinafter referred to as the Committee] consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors [hereinafter referred to as Board], out of which not less than one-half shall be independent directors and should include at least one member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under sub-section (c) of Section 19 of the SBI Act / clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980.

b) Manner and procedure

The banks shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the prescribed format from the persons who file their nominations for election. The Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. The Committee's discussions shall be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done, shall also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidature and shall make references, where considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

c) Criteria

The Nomination and Remuneration committee should determine the 'fit and proper' status of the proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

(i) Age - The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.

(ii) शैक्षिणिक योग्यता - उम्मीदवार कम से कम स्नातक होना चाहिए ।

(iii) अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र - आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर. एपीपीटी.बीसी.सं. 39/29 39.001/2016–17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9(3ए)(ए)/एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ए)(ए) में दिए गए एक या अधिक मामलों के संबंध में उम्मीदवार को विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए ।

(iv) अयोग्यता: राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 / 1980 के खंड 10 / एसबीआई अधिनियम की धारा 22 में यथा निर्धारित 'निर्देशकों की अयोग्यता' के अतिरिक्त:

(ए) उम्मीदवार किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) या किसी बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक द्वारा धारित नॉन-ऑपरेटिव फिनेंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के निदेशक मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए ।

स्पष्टीकरण: इस उप-परिच्छेद तथा उप-परिच्छेद (सी) के उद्देश्य के लिए, 'बैंक' शब्द में बैंकिंग कंपनी, नया संपर्की बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होगा ।

(बी) किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति को पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा यदि वे उनमें किसी भी प्रबंधकीय नियंत्रण का लाभ नहीं लेते हैं।

(सी) किसी भी व्यक्ति को बैंक के बोर्ड में निर्वाचित / पुनर्निर्वाचित नहीं किया जा सकता है यदि उसने किसी भी श्रेणी के तहत किसी भी बैंक / एफआई / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में छह साल के लिए चाहे लगातार या अलग-अलग समयावधि में निदेशक के रूप में कार्य किया है।

(ii) Educational qualification - The candidate should at least be a graduate.

(iii) Experience and field of expertise - The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in section 19A(a) of the SBI Act / section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No. 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.

(iv) Disqualifications: In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Section 22 of the SBI Act, 1955 / Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 / 1980:

(a) The candidate should not be a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other bank.

Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.

(b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.

(c) No person may be elected / re-elected on the Board of a bank if he / she has served as director in the past on the board of any bank / FI / RBI / Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

(डी) उम्मीदवार, को स्टॉक ब्रोकिंग के कारोबार में संलग्न नहीं होना चाहिए।

(इ) उम्मीदवार, संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का मतलब निकाय जैसे, अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद आदि) का सदस्य नहीं होना चाहिए।

(एफ) उम्मीदवार को चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के साझेदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा होना चाहिए जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।

(जी) उम्मीदवार को चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के साझेदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा होना चाहिए जो वर्तमान में उस बैंक के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है जिसमें चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया गया है।

(v) कार्यकाल - एक निर्वाचित निदेशक तीन साल के लिए पद धारण करेगा और फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा: बशर्ते ऐसे किसी भी निदेशक ने छह साल से अधिक की अवधि के लिए, चाहे लगातार या अलग-अलग समयावधि में सेवा हेतु पद धारण न किया हो।

(vi) व्यावसायिक प्रतिबंध -

(ए) उम्मीदवार का संबंधित बैंक के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) होना चाहिए और न ही ऐसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उस बैंक के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है।

(बी) उम्मीदवार का किसी बैंक या किसी अन्य बैंक की होल्डिंग रखने वाली किसी गैर-संचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होना चाहिए।

बशर्ते कि किसी उम्मीदवार का चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय बैंक के साथ ऐसा कोई संबंध हो, यह माना जाएगा कि वह मद (बी) के तहत आवश्यकता को पूरा करता है, उम्मीदवार समिति को एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि बैंक के साथ ऐसे किसी संबंध को निदेशक के रूप में चुने जाने पर रोक दिया जाएगा,

(d) The candidate should not be engaging in the business of stock broking.

(e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc).

(f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.

(g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.

(v) Tenure - An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently.

(vi) Professional Restrictions -

(a) The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that bank.

(b) The candidate should not be having any professional relationship with a bank or any Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other bank.

Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship with the bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, severs

और चुने जाने पर, बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले इस तरह के संबंध को खत्म कर दिया जाएगा।

(vii) पिछला कार्य निष्पादन रिकॉर्ड और सत्यनिष्ठा - उम्मीदवार किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण / एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के तहत नहीं होना चाहिए और किसी भी ऋण देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

बैंक निर्वाचित निदेशक से निम्न को प्राप्त करेगा:

(ए) ऐसे व्यक्ति के निदेशक का पद ग्रहण करने से पहले, निर्धारित प्रारूप में संलग्न प्रारूप में निष्पादित अनुबंध विलेख;

(बी) हर साल 31 मार्च को इस आशय की एक साधारण घोषणा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले से प्रदान की गई जानकारी में कोई बदलाव नहीं आया है।

(सी) जहां निर्वाचित निदेशक सूचित करता है कि पहले प्रदान की गई जानकारी में परिवर्तन है, बैंक ऐसे निदेशक से परिवर्तनों को शामिल करते हुए एक नया अनुबंध प्राप्त करेगा।

बैंक यह भी करेगा -

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, इसके अलावा,

(ए) निर्वाचित सीए निदेशक / उसकी फर्म के ग्राहकों के उचित प्रकटीकरण सहित सुरक्षा उपायों की एक प्रणाली स्थापित करें, और बैंक के क्रेडिट / निवेश निर्णयों में भाग न लें, जिसमें उनके / फर्म के ग्राहक शामिल हों। चुने गए सीए निदेशक को अनिवार्य रूप से पूरी प्रक्रिया से खुद को अलग कर लेना चाहिए और इस संबंध में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

(बी) निर्वाचित निदेशक को व्यावसायिक संस्थाओं में अपने हितों और निदेशकों पद का पूर्ण और उचित प्रकटीकरण करने की आवश्यकता होगी, जिसमें निदेशक व्यक्तिगत रूप से खुद को दूर कर रहा है और बैंक के ऐसी संस्थाओं से जुड़े क्रेडिट / निवेश निर्णयों में भाग नहीं ले रहा है जिसमें वह रुचि रखता है।

(सी) ऐसे निदेशक के रूप में पद छोड़ने के बाद दो साल की अवधि के लिए उस बैंक के निर्वाचित निदेशक के रूप में चुने गए व्यक्ति को कोई भी पेशेवर काम आवंटित नहीं किया जाएगा।

जहां निर्वाचित निदेशक:

(ए) निम्न में विफल रहता है

(i) अनुबंध या घोषणा का विलेख प्रस्तुत करना; या

such relationship before appointment as a director of the bank.

(vii) Track record and integrity - The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority / agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

The banks shall obtain from the elected director:

(a) a Deed of Covenant executed in the format annexed in prescribed format, before such person assumes office of director;

(b) a simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.

(c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh Annexure incorporating the changes.

The banks shall also -

Ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

(a) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's / his firm's clients, and not participating in bank's credit / investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.

(b) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit / investment decisions involving entities in which he is interested.

(c) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

Where the elected director:

(a) fails to

(i) submit the Deed of Covenant or declaration; or

(ii) उचित प्रकटीकरण करना; या

(iii) क्रेडिट / निवेश निर्णयों में भाग लेने से बचना, जहां वह रुचि रखता है,;
या

(बी) अपूर्ण या गलत प्रकटीकरण करता है, या

(सी) ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो उसे ऊपर वर्णित मानदंडों के अनुसार 'फिट और उचित नहीं' ठहराता है,

ऐसे निदेशक को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 की उप–धारा (3एए) / एसबीआई अधिनियम की धारा 19ए की उप–धारा (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाला माना जाएगा और वह बाद के परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

समिति नए निदेशक (नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति) के रूप में चुनाव के इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन की जांच करते समय ऊपर बताए गए संशोधित मानदंडों को अपनाएगी। हालांकि, मौजूदा निर्वाचित निदेशकों को पूर्व–संशोधित मानदंडों के अनुसार अपने मौजूदा कार्यकाल को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

जी. भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016

इसके अलावा, जैसा कि भारत सरकार द्वारा उनके पत्र दिनांक 3 सितंबर 2013 के माध्यम से सूचित किया गया है, बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति, गैर–सरकारी निदेशकों (एनओडी) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को शेयरधारक निदेशक की "उपयुक्त और उचित स्थिति" का निर्धारण करते समय भी ध्यान में रख सकती है। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च 2015 को अपने पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2015 संशोधन दिनांक 8 जुलाई 2016 के साथ पठित, के माध्यम से अग्रेषित किया है, जिसका सार निम्नानुसार है:

ए) सामान्य

1. नामांकन संबंधित अधिनियमों / नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

2. औपचारिक योग्यता और विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा आदि के संदर्भ में नामांकित व्यक्तियों की उपयुक्तता का आकलन किया जाता है। अखंडता और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए, आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में

(ii) make proper disclosures; or

(iii) refrain from participating in credit / investment decisions, where he is interested; or

(b) makes incomplete or incorrect disclosures, or

(c) involves in such activities that render him / her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above,

such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (2) of section 19A of the SBI Act / sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 and shall be liable for the consequences thereof.

The Committee shall adopt the revised criteria stated above while scrutinizing the nomination of candidates seeking election as new directors (appointment / re-appointment). However, existing elected directors may be allowed to complete their current terms as per the pre-revised criteria.

G. GOI GUIDELINES DATED 25TH MARCH 2015 & DATED 20TH JULY 2016

Further as advised by GOI, vide its letter dated 3rd September 2013 the Nomination and Remuneration Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non-official Directors (NOD), while determining "Fit and Proper Status" of the Shareholder Director also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015 read with amendments dated 8th July 2016, the gist of which is as under:

a) General

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts / Rules.

2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to

की गई सिविल कार्रवाई, पेशेवर निकायों में प्रवेश से रोक या निष्कासन, नियामकों और इस तरह के निकायों द्वारा लागू प्रतिबंधों और पिछले संदिग्ध व्यावसायिक कार्यों आदि को ध्यान में रखा जाएगा।

बी) कार्य अनुभव

1. कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, कारोबार प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा। एक वरिष्ठ पद पर उद्योग के 20 वर्षों के अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञता रखने वाले (एक प्रतिष्ठित संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, एक असफल संगठन में बदलाव लाया) को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर पर 20 वर्षों का कुल अनुभव और न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी। सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सीएमडी / ईडी। पूर्व सीएमडी/ ईडी को पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। पीएसबी के सेवारत सीएमडी/ ईडी को किसी अन्य पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

3. प्रमुख प्रबंधन बैंकिंग संस्थानों के शिक्षाविद निदेशक और 20 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर।

4. 20 साल का अनुभव रखने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (ऑडिट अनुभव को छोड़कर) को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

5. हालांकि, असाधारण मामलों में मामले की योग्यता के आधार पर वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव मानदंडों में छूट दी जा सकती है।

6. जहां तक संभव हो महिलाओं और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

b) Experience

1. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, co-operation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.

2. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs / EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/ EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.

3. Academicians, Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.

4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.

5. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.

6. As far as possible, representation may also be given to women and the persons belonging to SC / ST community.

सी) शिक्षा

एक एनओडी को अधिमानतः व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता के साथ कम से कम किसी स्ट्रीम में स्नातक होना चाहिए।

डी) आयु

खोज / नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा सिफारिश की तिथि को निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इ) कार्य अनुभव

पेशेवरों / शिक्षाविदों को अपने क्षेत्र विशेष में सामान्यत: 20 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।

एफ) अपात्रता

i. किसी बैंक / वित्तीय संस्थान (एफआई) / आरबीआई / बीमा कंपनी में किसी भी श्रेणी के तहत पहले से ही निदेशक के रूप में कार्यरत व्यक्ति को किसी अन्य बैंक / एफआई / आरबीआई / बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

ii. किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, लीजिंग और अन्य पैरा–बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर्स को बैंकों / एफआई / आरबीआई / बीमा कंपनियों के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, लीजिंग और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में निवेशकों को एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यदि उनका ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है।

iii. किसी भी व्यक्ति को बैंक / एफआई / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में एनओडी के रूप में दोबारा नामित नहीं किया जा सकता है, जिसमें उसने पूर्व में किसी भी श्रेणी के तहत दो कार्यकाल या छह साल, जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक के रूप में कार्य किया है।

iv. एक चार्टर्ड एकाउंटेंट यदि उसकी फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।

c) Education

An NOD should at least be a graduate in any stream, preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

d) Age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search / Nomination and Remuneration Committee should not be more than 67 years.

e) Work Experience

Professionals / academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

f) Disqualifications

i. A director already on a Bank / Financial Institution (FIs) / RBI / Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/ FI/RBI/Insurance Company.

ii. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks / FIs / RBI / Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.

iii. No person may be re- nominated as an NOD on the Board of a Bank / FI / RBI /Insurance Company on which he / she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

iv. A Chartered Accountant if his / her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.

v. एक चार्टर्ड एकाउंटेंट यदि उसकी फर्म वर्तमान में बैंक में एक सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।

जी) कार्यकाल

किसी बैंक / एफआई / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए एनओडी पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक / एफआई / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में छह साल के लिए, चाहे लगातार या अलग-अलग समयावधि में एनओडी / शेयरधारक-निदेशक रहा हो।

एच) व्यावसायिक प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 (डी) के तहत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लाभ के पद की तुलना में पेशेवर प्रतिबंध के मुद्दे की अलग से जांच की जा सकती है।

आई) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में देश के सभी छह क्षेत्रों - उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

एच. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी कार्य दिवसों (रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार और बैंक छुट्टियों के अलावा) में दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। यदि किसी शेयरधारक को रजिस्टर या उसके किसी भाग की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट आउट की आवश्यकता होती है, तो उसे प्रति 1000 शब्दों या उसके बाद प्रतिलिपि / मुद्रित करने के लिए आवश्यक भिन्नात्मक भाग के लिए के लिए `5/- की दर से पूर्व भुगतान करने पर आपूर्ति की जाएगी।

आई. शेयरधारकों की सूची

शेयरधारकों को चुनाव लड़ने में सक्षम बनाने के लिए, केनरा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2000 के विनियम 64 में उल्लिखित शेयरधारकों की सूची की प्रति शेयरधारकों द्वारा खरीद के लिए **शुक्रवार, 3 जून 2022** से केनरा बैंक के पक्ष में बेंगलूरु में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा `50,000/- [रुपये पचास हजार मात्र जीएसटी के साथ] के भुगतान पर बैंक के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी।

v. A Chartered Accountant if his / her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

g) Tenure

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank / FI / RBI / Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder-Director on the board of any other Bank / FI / RBI / Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

h) Professional Restriction

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

i) Regional Representation

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country - North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

H. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays, 2nd & 4th Saturday and Bank holidays) between 3.00 p.m. to 5.00 p.m. If any shareholder requires a copy or computer printouts of the register or of any part thereof, the same shall be supplied to him / her on pre-payment at the rate of `5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied / printed.

I. LIST OF SHAREHOLDERS

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the list of Shareholders as mentioned in Regulation 64 of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000 will be made available at the Head Office of the Bank, from **Friday, the 3rd June, 2022** onwards for purchase by Shareholders on payment of `50,000/- [Rupees Fifty Thousand Only plus GST] by Demand Draft in favour of Canara Bank payable at Bengaluru.

जे. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन निम्न के अधीन स्वीकार किया जाएगा:

ए) विनियमों के विनियम 65 के अनुसार, वह शुक्रवार, 20 मई 2022 जो चुनाव में भागीदारी के लिए गणना की निर्दिष्ट / कट-ऑफ तिथि है, को बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयर धारण करने वाला एक शेयरधारक हो और बैठक की तारीख तक और उसके बाद यदि वह निर्वाचित होता है तो अपने कार्यकाल के अंत तक न्यूनतम 100 शेयरों को धारण करना जारी रखेगा।

बी) अधिनियम के तहत निदेशकों का चुनाव करने के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों द्वारा या उनके विधिवत गठित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में वैध नामांकन, बशर्ते कि शेयरधारक द्वारा नामांकन जो एक कंपनी है, उक्त कंपनी के निदेशकों के एक संकल्प द्वारा किया जा सकता है और जहां ऐसा किया जाता है, उस बैठक, जहां इसे पास किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित मूल प्रति की एक प्रति कंपनी सचिव, सचिवीय विभाग केनरा बैंक प्रधान कार्यालय बेंगलूरु को संबोधित करते हुए बैंक के प्रधान कार्यालय को भेजी जाएगी और ऐसी प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा।

सी) शेयरधारकों द्वारा वैध नामांकनों (न्यूनतम 100) के साथ उम्मीदवार द्वारा इस नोटिस में प्रस्तुत नामांकन और घोषणा के नमूने के अनुसार उम्मीदवार द्वारा एक घोषणा पत्र संलग्न किया जाना है जिसे उम्मीदवार द्वारा एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के एक अधिकारी के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए इस आशय से कि वह नामांकन स्वीकार करते हैं और चुनाव के लिए प्रतिभागिता के इच्छुक हैं और वह अधिनियम या विनियम अधिनियम या योजना या विनियम या भारत सरकार के लागू दिशा–निर्देशों के तहत निदेशक के रूप में प्रतिभागिता के लिए अयोग्य नहीं हैं और साथ ही विधिवत हस्ताक्षरित अपना व्यक्तिगत विवरण (बायो डेटा) इस बात की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत किया जाना है कि प्रदान किये गए विवरण उनके ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं और साथ ही घोषणा के बाद बैंक को ऐसी घटनाओं के संबंध में जो सूचना के लिए प्रासंगिक हैं, के बारे में जल्द से जल्द पूरी तरह से सूचित करते रहने का वचनपत्र देंगे।

J. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

The nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

a) In terms of Regulation 65 of the Regulations, he / she is a Shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday, 20th May 2022 being the Specified / Cut-Off Date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his / her tenure, if he / she is elected.

b) The valid nomination in writing signed by at least One Hundred Shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by Shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary, Secretarial Department, Canara Bank, Head Office, Bengaluru and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

c) The valid nominations by the Shareholders (Minimum 100) are to be accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio-data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

डी) नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 8 जून, 2022 को, वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 या केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 (बाद में "विनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत अयोग्य नहीं पाया जाता है और उसके बाद बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर सरकारी निदेशकों के लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च 2015 और 20 जुलाई 2016 के साथ पठित भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीआर.एपीपीटी.सं:9/29.67.001/2019–20 दिनांक 02.08.2019 या निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए समय–समय पर जारी किये जाने वाले ऐसे अन्य निर्देशों के संदर्भ में "उपयुक्त और उचित" पाया जाता है।

ई) विनियमन द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार नामांकन फॉर्म और घोषणा पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न हैं (प्रोफॉर्मा बैंक की वेबसाइटः www.canarabank.com पर भी उपलब्ध है)

के. नामांकन फार्म जमा करना

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में निम्नलिखित दस्तावेजों को एक सीलबंद लिफाफे में जिस पर "केनरा बैंक – निदेशकों का चुनाव - जून 2022" लिखा हुआ होना चाहिए, "व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक / कोरियर के माध्यम से कंपनी सचिव, सचिवीय विभाग, केनरा बैंक प्रधान कार्यालय 112, जेसी रोड बेंगलूरु-560 002 को इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने है ताकि एजीएम के लिए निर्धारित तिथि यानी 8 जून, 2022 से कम से कम चौदह दिन पहले किसी भी कार्य दिवस को शाम 5.00 बजे या उससे पहले पहुंच सकें:

ए) विधिवत भरा हुआ घोषणा पत्र;

बी) चुनाव में भाग लेने के हकदार कम से कम सौ शेयरधारकों के वैध नामांकन फॉर्म;

सी) व्यक्तिगत जानकारी, संबंधित दस्तावेजों के साथ नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में घोषणा और वचनपत्र, प्रशंसापत्र

d) As on 8th June, 2022, being the last date for receipt of nominations, he / she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as “the Regulations”) and thereafter has been found “Fit and Proper” by the Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of the Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 of Reserve Bank of India read with Guidelines dated 25th March 2015 and 20th July 2016 issued by the Government for Non-Official Directors of the Public Sector Banks or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.

e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation as per the proforma annexed to this notice (The proforma is also available on the Bank’s website: www.canarabank.com)

K. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the Shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this notice, in a sealed envelope superscribing thereon “Canara Bank - Election of Directors - June 2022” in person or through Regd. Post / Courier addressed to the Company Secretary, Secretarial Department, Canara Bank, 112 Head Office, 112, J C Road Bengaluru-560 002 so as to reach on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the AGM, i.e., on or before 5.00 P.M. on 8th June, 2022:

a) Duly filled in Declaration Form;

b) Valid Nomination Forms minimum of hundred Shareholders entitled to participate in the election;

c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self-attested copies of

अर्थात बायोडाटा, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, बैंक से संबंधित अनुभव आदि की स्व–प्रमाणित प्रतियां।

डी) उक्त नामांकन प्रपत्र और अन्य दस्तावेज सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए, ऐसा न होने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है।

एल. निदेशकों के नामांकन और चुनाव की संवीक्षा

ए) नामांकनों की जांच **गुरुवार, 9 जून, 2022** को यानी नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद पहले कार्य दिवस को शुरू होगी, और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसे कारण दर्ज करने के बाद खारिज कर दिया जाएगा।

बी) वैध नामांकनों की जांच बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा आरबीआई के दिशा–निर्देशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार या योजना के खंड 14ए के अनुसार बोर्ड द्वारा भी की जाएगी। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश / अधिसूचना और भारत सरकार के दिशा–निर्देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध समान प्रकृति के हैं, बैंक उम्मीदवार (उम्मीदवारों) की "उपयुक्त (फिट) और उचित" स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में से सख्ती से विचार कर सकता है।

सी) बैंक नामांकन की जांच के समय या एनआरसी / बोर्ड द्वारा सलाह के अनुसार उम्मीदवार से उसकी उम्मीदवारी के समर्थन में अधिक जानकारी, दस्तावेज मांग सकता है।

डी) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली दो रिक्तियों के लिए केवल दो वैध नामांकन प्राप्त होते हैं, तो इस प्रकार नामांकित उम्मीदवारों के उपयुक्त (फिट) और उचित पाए जाने पर तुरंत निर्वाचित माना जाएगा और उनका नाम और पता चयन के संबंध में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, कोई चुनाव / मतदान नहीं होगा। नवनिर्वाचित निदेशक 27 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे।

ई) यदि दो से अधिक वैध नामांकन प्राप्त होते हैं, तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव कराया जाएगा और उम्मीदवार को अपने पक्ष में बहुमत प्राप्त होने पर यानी बैठक में रिमोट ई-मतदान और मतदान के आधार पर उन्हें निर्वाचित माना जाएगा और उनके नाम की घोषणा की जाएगी और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience relevant to the Bank, etc.

d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects, failing which, the nominations are liable to be rejected.

L. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS

a) The scrutiny of Nominations shall commence on **Thursday, the 9th June, 2022,** i.e., the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.

b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board in terms of the RBI Directions and GOI Guidelines or by Board in terms of Clause 14A of the Scheme. As the restrictions imposed by RBI Direction / Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidate(s).

c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the NRC / Board seek further information, documents from the candidate(s) in support of his / her candidature.

d) If there are only two valid nominations for the two vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated and found Fit & Proper, shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event, there shall not be any election / voting. The newly elected directors will assume office on July 27, 2022.

e) If there are more than two valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and the candidates in receipt of the majority of the votes in their favour i.e., aggregate of remote e-voting and voting at the meeting will be deemed to have been elected and their names will be announced and also published in newspapers.

एम. उम्मीदवारी की नामवापसी

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह बैंक के कार्यसमय के बंद होने से पहले यानी शाम 5.00 बजे से पहले किसी भी समय 17 जून 2022 को या उससे पहले कंपनी सचिव, सचिवीय विभाग, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112 जेसी रोड, बेंगलुरु - 560 002 को संबोधित एक हस्ताक्षरित पत्र भेजकर या ई-मेल पर hosecretarial@canarabank.com पर स्कैन और हस्ताक्षरित पत्र भेजकर ऐसा कर सकता है।

एन. विवाद

यदि कोई विवाद है, तो उसे केनरा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2000 के विनियम 67 के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

हो. निदेशकों का हित

बैंक के निदेशकों को उनकी शेयरधारिता की सीमा तक और ऐसे निदेशक, जो अपना नामांकन दाखिल करते हैं, उन्हें व्यवसाय की उक्त मदों में संबंधित या हित रखने वाला माना जा सकता है।

पी. निदेशकों का चुनाव - प्रासंगिक अधिनियमों, योजनाओं और विनियमों, आदि के सारांश।

शेयरधारक निदेशकों के चुनाव और केंद्र सरकार के इतर अन्य शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले ऐसे निदेशकों की संख्या का प्रावधान बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) में निहित हैं।

बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की प्रासंगिक धाराएं, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और भारतीय की जगह केनरा बैंक विनियम, 2000 के प्रासंगिक विनियम (शेयर और बैठक), जैसा कि संशोधित किया गया है, शेयरधारकों की जानकारी के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

बैंकिंग कंपनी विनियम अधिनियम, 1949

पर्याप्तता हित - धारा 5 (एनई):

(i) कंपनी के संबंध में अर्थ है कि व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे द्वारा शेयर में लाभार्थी हित का धारण, चाहे वह अकेले लिया गया हो या संयुक्त रूप से, प्रदत्त राशि जो पाँच लाख रुपये से अधिक हो या कंपनी के प्रदत्त पूंजी के 10% से अधिक हो, इनमें से जो भी कम हो;

M. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e., on or before 5.00 P.M. on June 17, 2022 by sending a signed letter addressed to Company Secretary, Secretarial Department, Canara Bank, Head Office, 112 J C Road, Bengaluru - 560 002 or sending scanned and signed letter over e-mail at hosecretarial@canarabank.com.

N. DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended.

O. INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid items of business.

P. ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

The provisions regarding Election of Shareholder Directors and number of such Directors to be elected by the Shareholders other than the Central Government are contained in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, are reproduced below for the information of the Shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Substantial Interest - Section 5(ne):

(i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares thereof, the amount paid-up on which exceeds five lakh of rupees or ten per cent of the paid- up capital of the company, whichever is less;

(ii) फर्म के संबंध में अर्थ है कि व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी हित का धारण, चाहे वह अकेले लिया गया हो या संयुक्त रूप से, जो कि कथित फर्म के सभी सहभागियों द्वारा लिये गये कुल पूंजी के 10% से अधिक है;

सामान्य निदेशकों पर प्रतिषेधः धारा 16(1):

भारत में निगमित कोई बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मंडल में किसी अन्य बैंकिंग कंपनी के निदेशक को अपने निदेशक के रूप में नहीं लेगी।

ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध - धारा 20:

1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में निहित किसी बात के होते हुए कोई भी बैंकिंग कंपनी -

   a) अपने खुद के शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं करेगी।

   b) निम्नलिखितों को या उनके पक्ष में ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए किसी प्रकार की प्रतिबद्धता में प्रविष्ट नहीं होगी -

      (i) उनके किसी निदेशक

      (ii) कोई फर्म जिसमें साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गांरटर के रूप में उसका कोई निदेशक हितधारक हो, या

      (iii) बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी नहीं होने वाली कोई कंपनी या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी, या किसी सरकारी कंपनी जिसकी अनुषंगी या धारक कंपनी जिसका बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधन एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गांरटर हो या जिसमें पर्याप्त हित रखता हो या

      (iv) कोई व्यक्ति जिसके संबंध में निदेशक, साझेदार या गारंटर हो।

2) जहाँ बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया ऋण या अग्रिम इस प्रकार का हो कि जिस तारीख को ऋण या अग्रिम दिया गया है, उस तारीख को यदि उपधारा (1) का खंड (ख) प्रवर्तन में हो तो उसके मंजूर किए जाने के लिए कोई वादा नहीं किया हुआ होगा या बैंकिंग विधि (आशोधन) अधिनियम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के आरंभ होने के बाद किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया हो, लेकिन ऐसे आरंभ किये जाने के पहले किये गये वादा के परिणामस्वरूप ऋण या अग्रिम के कारण बैंकिंग कंपनी को देय राशियाँ ब्याज के साथ ऋण या अग्रिम के मंजूर किये जाने के समय निर्धारित

(ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

Prohibition of Common Directors - Section 16(1):

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20:

1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall -

   a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or

   b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of -

      (i) any of its Directors

      (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or

      (iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or

      (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.

2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking

अवधि के अंदर या ऐसी अवधि निर्धारित नहीं की गई है तो कथित धारा 5 के आरंभ होने से एक वर्ष के समाप्त होने के पहले वसूल करने के कदम उठाये जाएंगे। बशर्ते कि किसी संदर्भ में इस मामले में बैंकिंग कंपनी द्वारा लिखित रूप से आवेदन दिये जाने पर ऋण या अग्रिम की वसूली की अवधि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों के अधीन ऐसी तारीख तक बढ़ायेगा जो कथित धारा 5 के आरंभ होने से 3 वर्षों की अवधि के परे न हो।

बशर्ते कि यह उप-धारा तब लागू नहीं होगी जब संबंधित निदेशक मृत्यु, सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक कार्यालय को रिक्त कर दे।

3) उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम या उसका कोई भाग भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषित शून्य और निष्प्रभावी होगा।

4) किसी व्यक्ति द्वारा देय उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर बैंकिंग कंपनी को पुनः भुगतान नहीं किया हो तब ऐसा व्यक्ति कथित अवधि के समाप्त होने की तारीख को ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो तो समझा जायेगा कि उसने उक्त तारीख को अपने पद/कार्यालय को रिक्त कर दिया है।

इस धारा में स्पष्टीकरण:

➢ "ऋण या अग्रिम" में ऐसा कोई संव्यवहार शामिल नहीं होगा जिसे संव्यवहार के स्वभाव, जिस अवधि के अंदर और ऐसी परिस्थितियों जहाँ संव्यवहार के कारण देय राशि के वसूल किये जाने की संभावना है, जमाकर्ताओं के हित और अन्य संबंद्ध पहलुओं के मद्देनजर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस धारा के लिए ऋण या अग्रिम के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं करेगा।

➢ "निदेशक" में बैंकिंग कंपनी द्वारा भारत में गठित किसी बोर्ड या समिति का सदस्य शामिल होगा, जिसका गठन उसके प्रबंधन, या उसके प्रबंधन तंत्र को इस दिशा में परामर्श देने के लिए किया गया हो।

Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit :

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.

4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then, such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section:

➢ "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section.

➢ "Directors" includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing or for the purpose of advising it in regard to the management of all or any of its affairs.

5) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या इस धारा के लिए कोई संव्यवहार ऋण या अग्रिम है उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को अग्रेषित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 1956 से संबंधित पूर्वोक्त प्रावधानों के तहत किए गए किसी भी संदर्भ को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के अधीन किए गए संदर्भ के रूप में उपयुक्त माना जाएगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970

मतदान अधिकारों पर प्रतिबंध:

धारा 3(2ई): केंद्र सरकार के शेयरधारक को छोड़कर नये बैंक का कोई भी शेयरधारक नये बैंक के सारे शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत के परे उसके द्वारा धरे गये शेयरों के मामले में मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन:

धारा 9(3) (i): जहां धारा 3 की उप-धारा (2बी) के खंड (सी) के तहत पूँजी जारी की गई है:

ए) कुल प्रदत्त पूँजी का 16% से अधिक न हो तो, एक निदेशक।

बी) कुल प्रदत्त पूँजी का 16% से अधिक और 32% तक, दो निदेशक।

सी) कुल प्रदत्त पूँजी का 32% से अधिक हो तो, तीन निदेशकों को केंद्र सरकार के इतर अन्य शेयरधारकों के बीच से चुना जाएगा।

बशर्ते है कि इस खंड के तहत ऐसे किसी निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभार ग्रहण किये जाने पर खंड (एच) के तहत नामित निदेशक योजना में विनिर्दिष्ट तरीके के समान संख्या में सेवानिवृत्त होंगे।

बशर्ते कि यदि संबंधित नए बैंक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने पर या उससे पहले चुने गए निदेशकों की संख्या उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) या उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक हो, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रारंभ से पहले निर्वाचित निदेशक, जो अधिक संख्या में हो, इस तरह से सेवानिवृत्त हो जाएंगे जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया हो और ऐसे निदेशक अपने कार्यकाल की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए किसी मुआवजे का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

Further, any reference made under aforesaid provisions pertaining to the Companies Act, 1956 shall be suitably construed as references made under relevant provisions under the Companies Act, 2013.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on Voting Rights:

Section 3(2E): No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors:

Section 9(3) (i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is:

a) not more than sixteen percent of the total paid-up capital, one Director.

b) more than sixteen percent, but not more than thirty-two per cent of the total paid up capital, two Directors.

c) more than thirty-two percent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the Shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (i) or sub-clause (ii) or sub-clause (iii), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

धारा 9(3ए): उक्त खंड (i) के तहत चुने जाने वाले निदेशकों का-

(ए) निम्नलिखित में से एक या अधिक मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, अर्थात्:

i. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
ii. बैंकिंग
iii. सहकारिता
iv. अर्थशास्त्र
v. वित्त
vi. विधि
vii. लघु उद्योग
viii. किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार से बैंक के लिए उपयोगी होगा।

(भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं.डीबीआर.एपीपीटी.बीसी. सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 द्वारा (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन, उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें बैंकों में निदेशक की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है, को शामिल करने के लिए विशेषज्ञता के क्षेत्रों का विस्तार किया है)

(बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; या

(सी) किसानों, श्रमिकों व कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो

धारा 9(3एए): उप-धारा 3 (ए) के प्रावधान की पूर्वधारणा के बिना और अधिनियम या अन्य कानून में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, कोई भी व्यक्ति उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह ट्रैक रिकॉर्ड, अखंडता और ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर 'उपयुक्त और उचित स्थिति' रखने वाला व्यक्ति न हो, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित कर सकता है।

धारा 9(3एबी): भारतीय रिज़र्व बैंक उप-धारा 3 (एए) के तहत जारी अधिसूचना में, 'उपयुक्त और उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण, इस तरह के निर्धारण के तरीके, इस तरह के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और इस तरह के अन्य मामलों के रूप में आवश्यक या आकस्मिक समझे जा सकते हैं।

धारा 9(3बी): जहां रिज़र्व बैंक की राय है कि उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत चुने गए संबंधित नए बैंक का कोई भी निदेशक,

Section 9(3A): The Directors to be elected under the said clause (i) shall -

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely:

i. Agricultural and rural economy
ii. Banking
iii. Co-operation
iv. Economics
v. Finance
vi. Law
vii. Small scale industry
viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

(B) Represent the interests of depositors; or

(C) Represent the interest of farmers, workers and artisans

Section 9(3AA): Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB): The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected

उप-धारा (3ए) और (3एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो वह ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई का एक उचित अवसर दे सकता है, और ऐसे निदेशक को आदेश द्वारा हटा दें और इस तरह के निष्कासन पर, निदेशक मंडल इस प्रकार हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर उप-धारा (3ए) और (3एए) की आवश्यकता को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को निदेशक के रूप में तब तक सहयोजित करेगा जब तक कि संबंधित नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा अगली वार्षिक सामान्य बैठक में विधिवत रूप से निदेशक निर्वाचित नहीं किया जाता है और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को संबंधित नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत चुना गया माना जाएगा।

निष्ठा और गोपनीयता के रूप में दायित्व:

धारा 13(2): नये बैंक का प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या समिति का सदस्य या लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपने कर्तव्यों में प्रविष्ट होने के पहले तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा करेंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

निर्वाचित निदेशक के पद की अवधि: खंड 9(4) :

एक निर्वाचित निदेशक तीन साल के लिए पद धारण करेगा और फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। बशर्ते कि ऐसा कोई भी निदेशक छह साल से अधिक की अवधि के लिए लगातार पद पर नहीं रहेगा।

निदेशकों के पदों की रिक्ति:

खंड 11:

1. कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट अनुसार अयोग्य घोषित होता है या बोर्ड की अनुमति के बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होता हो तो समझा जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है और उसका कार्यालय रिक्त हो जायेगा।

2. अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (बी) या खंड (सी) या खंड (डी) में संदर्भित प्रबंध निदेशक को शामिल करके अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक केंद्र सरकार को लिखित रूप में सूचित करके अपने पद से त्यागपत्र देता हो और उस सरकार द्वारा ऐसे त्यागपत्र के स्वीकारे जाने पर समझा जाता है कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है; और केन्द्र सरकार को लिखित रूप में सूचित करके अपने पद

under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the Shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the Shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director: Clause 9(4) :

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Vacation of office of Directors:

Clause 11:

1. If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.

2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt

से कोई अन्य निदेशक त्यागपत्र देता हो तो ऐसा त्यागपत्र केंद्र सरकार को प्राप्त होने पर प्रभावी होगा।

3. उपर्युक्त उपखंडों के प्रावधान की पूर्वधारणा के बिना अधिनियम 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) या खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद जिसका वह निदेशक है, उस राष्ट्रीयकृत बैंक के कामगार से अन्य को छोडकर कामगार या कर्मचारी नहीं रह जाता हो तो संदर्भित निदेशक का पद रिक्त हो जाता है।

4. निर्वाचित निदेशक को छोड़कर किसी अन्य निदेशक के पद में यदि रिक्ती होती है तो अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के अनुरूप उसे भरा जायेगा।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना:

खंड 11ए :

केन्द्र सरकार से इतर शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर पूँजी के आधे से अधिक शेयर पूँजी का धारण करने वाले शेयरधारकों के बहुमद द्वारा पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत निर्वचित किसी निदेशक को हटाकर उस रिक्ती को भरने के लिए उसकी बजाय अन्य व्यक्तियों को चुन सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के पद में रिक्ती को भरना:

खंड 11बी :

1. निर्वाचित निदेशक के पद का कार्यकाल समाप्त होने से पहले यदि कोई रिक्ति उद्भूत होती है तो उसे निर्वाचन द्वारा भरा जायेगा।

   बशर्ते कि जहां रिक्ति की अवधि छह महीने से कम होने की संभावना है तो उसे शेष निदेशकों

   द्वारा भरा जायेगा।

2. जैसी भी स्थिति हो, उपखंड (1) में निर्वाचित या शामिल किया गया व्यक्ति उसके पूर्ववर्ती निदेशक की शेष अवधि तक पद संभालेगा।

निदेशकों द्वारा हितधारण का प्रकटीकरण:

खंड 12(8):

राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा या उसके पक्ष में प्रविष्ट किसी संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित रखने वाला निदेशक संबंद्ध परिस्थितियों के बारे में उसकी जानकारी में आने के बाद जितना शीघ्र हो सके बोर्ड को अपने हित के स्वभाव के बारे में प्रकट करेगा और जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाती तो ऐसी, संविदा,

of the communication of the resignation by the Central Government.

3. Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalised Bank of which he is a Director.

4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director:

Clause 11A :

The Shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such Shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such Shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director:

Clause 11B :

1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.

   Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors.

2. A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors:

Clause 12(8):

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalised Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed

ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव पर चर्चा की जाने वाली बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और उपस्थित होने के अपेक्षित कोई भी निदेशक ऐसी संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा:

बशर्ते कि निम्न कारण द्वारा ऐसे निदेशक पर उप-धारा में समाहित कुछ भी लागू नहीं होगा:

i. कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में परिभषित किसी सार्वजनिक कंपनी में प्रदत्त पूँजी के दो प्रतिशत से कम शेयर धारण करने वाला शेयरधारक (निदेशक के इतर) या भारत में संप्रति प्रवर्तन किसी विधि के तहत स्थापित किसी निगम या सहकारी संस्था इसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव में प्रविष्ट हुआ हो या पविष्टि का करता हो; या

ii. राष्ट्रीयकृत बैंक का एक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, यदि वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) या खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक हो।

विशेष प्रावधान:

खंड 14ए:

जहां एक राष्ट्रीयकृत बैंक को कानून द्वारा कोई कार्य करने की आवश्यकता होती है और ऐसा करने के लिए सुरक्षा धारकों की किसी भी समिति द्वारा किसी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा के संबंध में सिफारिशों या निर्धारण, या शिकायतों का समाधान बैंक के बोर्ड की आवश्यकता है, और यदि बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसी समिति की बैठक के लिए कोरम ऐसी समिति में किसी भी रिक्ति के अस्तित्व या उसके सदस्य द्वारा अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड वह कार्य कर सकता है।

केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, यथा संशोधित:

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग:

विनियम 10:

कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम से रहे हों तो रजिस्टर में पहले नाम दर्ज किये गये व्यक्ति को समझा जाएगा कि वह शेयरों के अंतरण को छोड़कर मतदान, लाभांश प्राप्त करना, सूचना प्रेषण और केनरा बैंक से संबद्ध अन्य किसी मामले में एकल शेयरधारक है।

unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

i. a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any Corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative society, with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made, or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or

ii. an officer or other employee of the Nationalised Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Special provision:

Clause 14A:

Where a Nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.

CANARA BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2000, AS AMENDED:

Exercise of rights of joint holders:

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Canara Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

अध्याय IV

शेयरधारकों की बैठक

61. सामान्य बैठक में मतदान

(i) किसी सामान्य बैठक में मतदान के लिए प्रस्तुत किये गये संकल्प पर, मतदान अपेक्षित नहीं हो तो हाथ दिखाने के द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(ii) अधिनियम के प्रावधान के अन्यथा, सामान्य बैठक को प्रस्तुत किये गये हर मामले पर बहुमत द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(iii) उप विनियम (i) के तहत यदि मतदान अपेक्षित नहीं होता तो, बैठक के अध्यक्ष द्वारा इस आशय की घोषणा कि हाथ दिखाने के द्वारा संकल्प को एकमत से या बहुमत विशेष के साथ अपनाया गया है या अपनाया नहीं गया है और ऐसे संकल्प के पक्ष में या विरूद्ध प्राप्त मतों की संख्या और अनुपात के साक्ष्य के बिना कार्यवाही का कार्यवृत्त रखने वाली बहियों में इस आशय की प्रविष्टि उस तथ्य का निष्कर्षात्मक साक्ष्य होगा।

(iv) हाथ दिखाकर किसी संकल्प पर किये गये मतदान के परिणाम की घोषणा के पहले या किये जाने पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा मतदान का आदेश दिया जा सकता है और व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित बैंक के किसी शेयरधारक या शेयरधारकों द्वारा उस आशय से की गई माँग पर मतदान प्राप्त करने के लिए आदिष्ट होगा तथा बैंक में शेयरधरिता उसे संकल्प पर मतदान का अधिकार प्रदान करता है जो संकल्प के संबंध में कुल मतदान के पाँचवें हिस्से से कम नहीं होगा।

(v) मतदान की माँग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान की माँग कभी भी वापस ली जा सकती है।

(vi) बैठक के अध्यक्ष के स्थगन या चुनाव के सवाल पर मांगे गए मतदान को तुरंत लिया जाएगा।

(vii) किसी अन्य प्रश्न पर माँगा गया मतदान बैठक के अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार लिया जायेगा, जो माँग किये समय से 48 घंटों के बाद न हो।

(viii) मतदान करने के लिए व्यक्ति विशेष की योग्यता और मतदान अपनाये जाने के संदर्भ में भी व्यक्ति विशेष कितने मत देने के लिए सक्षम होगा, इन पर बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

CHAPTER IV

MEETING OF SHAREHOLDERS

61. Voting at General Meeting.

(i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.

(ii) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to the general meeting shall be decided by a majority of votes.

(iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against such resolution.

(iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or Shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

(v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

(vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.

(vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.

(viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any personto vote, and also in case of a poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

अध्याय V

निदेशकों का निर्वाचन

63. सामान्य बैठक में निर्वाचित किये जाने वाले निदेशक:

i) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत केंद्र सरकार को छोड़कर रजिस्टर पर रहने वाले उनके द्वारा शेयरधारकों में से केनरा बैंक की सामान्य बैठक में निदेशक को चुना जायेगा।

ii) जहां किसी सामान्य बैठक में निदेशक का निर्वाचन किया जाना है तो उसकी सूचना बैठक आयोजित करने की सूचना में शामिल की जायेगी। ऐसी प्रत्येक सूचना में निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या और रिक्तियों का विवरण, जिनके संबंध में निर्वाचन होना है, निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

64. शेयरधारकों की सूची:

i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के तहत निदेशक को निर्वाचित करने के लिए उन शेयरधारकों की सूची बनाई जायेगी, जिनके द्वारा निदेशक को चुना जाना है।

ii) सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, शेयरों को पंजीकृत करने की तारीखों के साथ उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और मूल्यवर्ग संख्याएं और निर्वाचन आयोजित की जाने वाली बैठक के लिए नियत तारीख पर वे कितने मतों के लिए पात्र होंगे, उसकी संख्याएं होंगी और सूची की प्रतियाँ बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा नियत मूल्य पर बैठक के लिए नियत तारीख के पहले कम से कम तीन हफ्तों के पहले प्रधान कार्यालय में आवेदित हो।

67. निर्वाचन संबंधी विवाद:

i) निर्वाचित समझे या निर्वाचित घोषित किये जानेवाले व्यक्ति विशेष की योग्यता या अयोग्यता के बारे में, या निदेशक के निर्वाचन की विधिमान्यता के बारे में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र प्रत्याशी या शेयरधारक होने वाला कोई इच्छुक व्यक्ति, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा तिथि के सात दिनों के अंदर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक को लिखित रूप से सूचित करेगा और उक्त सूचना में जिन

CHAPTER V

ELECTION OF DIRECTORS

63. Directors to be elected at General Meeting:

i) A Director under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the Shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of Canara Bank.

ii) Where an election of a Director is to be held at any General Meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of Shareholders:

i) For the purpose of election of a Director under Sub-Regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of Shareholders on the register by whom the Director is to be elected.

ii) The list shall contain the names of the Shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchases at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

67. Election Disputes:

i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Canara Bank and shall in the said intimation

बातों के आधार पर निर्वाचन की वैधता पर वह संदेह कर रहा है या निर्वाचन पर विवाद है।

ii) उप विनियम (i) के तहत सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक ऐसी समिति के निर्णय के लिए ऐसे संदेह या विवाद को संदर्भित करेगा, जिसमें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) और (ई) या (एफ) या (जी) या (एच) के तहत नामित कोई दो निदेशक होंगे।

iii) उप विनियम (ii) में संदर्भित समिति उसके द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली पूछ-ताछ करेगी और यदि वह यह महसूस करे कि चुनाव विधिमान्य है, तो वह निर्वाचन के परिणाम घोषित करेगी या चुनाव को विधिमान्य नहीं महसूस करता है तो वह जाँच-पड़ताल के शुरू के 30 दिनों के अंदर उसे संगत लगने वाली परिस्थितियों में नये सिरे से निर्वाचन आयोजित करने के साथ-साथ ऐसे आदेश और निर्देश दे सकती है।

iv) इस विनियम के परिणामत: ऐसी समिति के आदेश और निर्देश अंतिम होंगे।

अध्याय VI

शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार

68. मतदान अधिकारों का निर्धारण:

i) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन सामान्य बैठक की तिथि के पहले रजिस्टर बंद कर दिये जाने की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को ऐसी बैठक में हाथ दिखाने पर एक मत प्राप्त होगा और मतदान आयोजित किये जाने पर उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा।

ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन उपर्युक्त अनुसार मत देने के लिए पात्र प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी न हो, जो व्यक्तिश: या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो या कंपनी हो तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो, को हाथ दिखाने पर एक मत प्राप्त होगा और मतदान आयोजित किये जाने पर उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा, जैसे उपर्युक्त उपविनियम (i) में बताया गया है।

give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

ii) On receipt of an intimation under Sub-Regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Canara Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (e) or (f) or (g) or (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

iii) The committee referred to in Sub-Regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VI

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

68. Determination of Voting Rights:

i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in Sub-Regulation (i).

स्पष्टीकरण - इस अध्याय के लिए,"कंपनी" का अर्थ किसी भी कॉर्पोरेट निकाय है।

कृपया नोट करें कि शेयरधारक निदेशक के चुनाव के संबंध में मतदान केवल रिमोट ई-मतदान व पोल के माध्यम से ही किया जाएगा।

iii) सामान्य बैठक में उपस्थित होकर मत देने के लिए पात्र बैंक के शेयरधारक उनके बदले में उपस्थित होकर मत देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में अन्य व्यक्ति (शेयरधारक हो या न हो) नियुक्त करने के लिए पात्र होगा और ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बात करने का अधिकार नहीं होगा।

69. विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान:

i) केंद्र सरकार या कंपनी के रूप में एक शेयरधारक, जैसी भी स्थिति हो, संकल्प द्वारा शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने किसी अधिकारी को या अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि कहा गया) केंद्र सरकार या जिस कंपनी का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसकी तरफ से उन्हीं अधिकारों को उपयोग करने के लिए पात्र होगा, जैसे वह केनरा बैंक का व्यष्टी शेयरधारक हो। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्प दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति केंद्र सरकार या कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि की भूमिका निभा सकता है।

ii) कोई भी व्यक्ति, उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में विधिवत नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति को, जिस बैठक में उसे पारित किया गया है उसके अध्यक्ष द्वारा उसकी सत्य प्रतिलिपि होने के आशय के प्रमाणन के बिना और उसे बैठक की नियत तारीख के चार दिन पहले केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं करता है तो वह कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में केनरा बैंक के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित नहीं होगा, न ही मतदान करेगा।

निदेशक मंडल के आदेशार्थ

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2022

Explanation - for this Chapter, "Company" means any body corporate.

PLEASE NOTE THAT THE VOTING IN RESPECT OF ELECTING SHAREHOLDER DIRECTORS SHALL ONLY BE DONE BY REMOTE e-VOTING AND POLL.

iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by Duly Authorised Representative:

i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the Shareholders and the person so authorized (referred to as a 'duly authorized representative' in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of Canara Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government / Company.

ii) No person shall attend or vote at any meeting of the Shareholders of Canara Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

By Order of the Board of Directors

L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 18.05.2022